पत्र संख्या-11/का०-10-42/89 का०-146

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री राधा रमण सिंह, सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना-15, दिनांक 21 जून, 89

विषय :- सरकारी सेवा में प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर कालावधि निर्धारण ।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग के संकल्प संख्या-9277 दिनांक 29-5-71 की कंडिका-4 के अनुपालन में वित्त विभाग के अनुशंसा के आलोक में टंकण शाखा के यांत्रिक संवर्ग में प्रोन्नति हेतु सरकार ने भली-भाँति विचार कर निम्नांकित कालावधि निर्धारण करने का निर्णय लिया है :-

वित्त विभाग के नियंत्रणाधीन सेवा

क्रमांक	निम्नतर पद	उच्चतर पद	प्रोन्नति के लिए निर्धारित कालावधि
1.	यांत्रिक (425-605 रु०)	कनीय प्रवर कोटि यांत्रिक (480-680 रु०)	5 (पाँच) वर्ष
2.	कनीय प्रवर कोटि यांत्रिक (480-680 रु०)	वरीय प्रवर कोटि यांत्रिक (535-765 रु०)	3 (तीन) वर्ष

2. कालावधि की गणना निम्नतर पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति की तिथि से की जायेगी ।

विश्वासभाजन,

ह०/-राधा रमण सिंह

सरकार के अवर सचिव ।

पत्रांक 11-वि० 1-11/89-का०-145

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

पटना 15, दिनांक 21 जून, 1989

विषय :– आरक्षण नीति के कार्यान्वयन हेतु विशेष राजव्यापी अभियान ।

सरकार, सरकारी निकायों एवं सरकार द्वारा संपोषित प्रतिष्ठानों में विभिन्न वर्ग की सेवाओं में आरक्षित वर्ग के वांछित प्रतिनिधित्व को देने के लिए सरकार ने कई नीतिमूलक निर्णय लिये हैं । उनके कारगर कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक जिला में एक "आरक्षण नीति कार्यान्वयन समिति" का गठन निम्न प्रकार किया जाता है :-

सदस्य :-

(1) सांसद जिनका निर्वाचन क्षेत्र में जिला मुख्यालय आता हो – अध्यक्ष ।

(2) जिला के सभी आरक्षित वर्ग के विधान-सभा के सदस्य ।

(3) प्रत्येक जिला के सभी सांसद जो आरक्षित वर्ग के हों (यदि हों) ।

(4) जिला के सभी आरक्षित वर्ग के विधान परिषद् के सदस्य (यदि हों) ।

(5) जिला के जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता–सदस्य-सचिव ।

(6) जिला कल्याण पदाधिकारी ।

बैठक में आवश्यकतानुसार जिला दंडाधिकारी किसी भी विभाग के नियुक्ति पदाधिकारी को भाग लेने के लिये आमंत्रित कर सकते हैं और आमन्त्रित पदाधिकारी वैसी बैठक में अवश्य भाग लेंगे ।

2. समिति के कार्य :

(1) आरक्षण नीति का कारगर कार्यान्वयन कराना ।

(2) जिला के विभिन्न सरकारी कार्यालय, सहकारी संस्थाएं, निकायों में आरक्षित रिक्तियों की पहचान करना और उसके विपरीत आरक्षित वर्गों की नियुक्ति, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा करवाना ।

(3) आरक्षण नीति का मोनिटरिंग करना।

(4) विभिन्न नियुक्ति एजेंसियों के बीच लाभदायक समन्वय, आरक्षण नीति के कार्यान्वयन में उदासीनता एवं शिथिलता के लिये जिम्मेवार व्यक्ति की पहचान एवं अनुशासनिक कार्रवाई के लिए अनुशंसा करना ।

(5) कार्यान्यवन के क्रम में उत्पन्न कठिनाइयों की तत्परता से पहचान के लिये अविलम्ब स्थल पर निराकरण हेतु आवश्यक निर्णय एवं दिशा निर्देश देना ।

(6) नियुक्ति/आरक्षण सम्बन्धी आंकड़े विभिन्न संस्थानों से एकत्रित करना और जिला स्तर पर उसका संकलन करना ।

3. समिति की बैठक माह में कम-से-कम एक बार होगी । आरक्षण आयुक्त इन बैठकों में यथासंभव भाग लेंगे।

4. यह समिति तात्कालिक प्रभाव से गठन किया जाता है । समितियों की कार्यवाही का मोनिटिरिंग प्रमंडलीय आयुक्त एवं आरक्षण आयुक्त नियमित करेंगे और जहां आवश्यक हो समिति की अनुशंसा पर सरकार का आदेश प्राप्त करेंगे ।

5. इस समिति की बैठकों में भाग लेने पर माननीय सांसदों एवं विधान मंडल सदस्यों को, विधान मंडलीय कार्यों के लिये निर्धारित दर पर यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता देय होगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ए० यू० शर्मा

सरकार के मुख्य सचिव ।

ज्ञापांक 11-वि० 1-11/89-का०-145

पटना-15, दिनांक 21 जून, 1989 ।

प्रतिलिपि, आरक्षण आयुक्त, बिहार, पटना/सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला दंडाधिकारी/समाहर्त्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

आरक्षण आयुक्त से अनुरोध है कि वे इस संकल्प की प्रति को सभी सांसदों/सदस्य, विधान-सभा एवं विधान परिषद् को सूचित करने की कृपा करेंगे ।

ए० यू० शर्मा,

सरकार के मुख्य सचिव ।

पत्र संख्या 11/वि० 1-03/89 का०-136

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

मुख्य सचिव, बिहार

सेवा में,

सरकार के सभी सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 14 जून, 1989 ।

विषय :- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति/पिछड़ा वर्ग आदि के लिये विशेष अभियान चलाने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहना है कि "राज्य सरकार के अधीन राज्य सेवाओं/सेवा संवर्गों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति/पिछड़ा वर्ग आदि के लिए दिनांक 31 दिसम्बर, 1988 तक की आरक्षित रिक्तियों को अधिक-से-अधिक अगले छः माह के अन्दर अर्थात् दिनांक 31 दिसम्बर, 1989 के पूर्व भरने के लिये राज्य सरकार कृत संकल्प है । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये दिनांक 1 जून, 1989 से विशेष अभियान चलाया जा रहा है । सरकार का निर्देश है कि राज्य सरकार के अधीन सभी विभाग/कार्यालय अपने नियन्त्रणाधीन राज्य सेवाओं/सेवा संवर्गों में दिनांक 31 दिसम्बर, 1988 तक आरक्षित रोस्टर बिन्दुओं तथा पहले से चले आ रहे बैक-लॉक (Back-log) के अनुसार रिक्त पदों को, चाहे वे सीधी नियुक्ति द्वारा भरे जाने वाले हों या प्रोन्नति द्वारा, निर्धारित अवधि अर्थात् दिनांक 31 दिसम्बर, 1989 तक भरने के लिए कालबद्ध कार्य-योजना तैयार की जाय जिसमें पाक्षिक लक्ष्य निर्धारित किया जाय और लक्ष्य की प्राप्ति के लिये हर संभव प्रयास गंभीरतापूर्वक किया जाय ।" कालबद्ध कार्य-योजना में रिक्त पदों के विवरण (पदनाम, वेतनमान, कुल संख्या, कोटिवार आरक्षण की संख्या सहित) पदों को भरने सम्बन्धी कार्रवाई के विभिन्न चरणों के लिये निर्धारित समय आदि का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक होगा ।

(2) अतः आपसे अनुरोध है कि अपने नियन्त्रणाधीन एवं अधीनस्थ स्थापना में रिक्त आरक्षित पदों को भरने हेतु एक कालबद्ध कार्य-योजना तुरत तैयार करा दी जाय और उसकी दो प्रतियां आरक्षण आयुक्त, मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना को दिनांक 30 जून, 1989 तक अवश्य उपलब्ध करा दिया जाय ।

(3) अनुरोध यह भी है कि इस प्रकार तैयार की गयी कालबद्ध कार्य-योजना के अनुसार समय पर आवश्यक

कार्रवाई सुनिश्चित की जाय और इसके लिए सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी को उत्तरदायी बनाया गया है। कार्य योजना के अनुसार समय पर कार्रवाई होने में किसी प्रकार की शिथिलता या उदासीनता बरते जाने की दशा में सरकार इस विषय को गंभीर मानेगी और दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही शुरू करने के लिए बाध्य होगी।

(4) कालबद्ध कार्य-योजना के कार्यान्वयन की प्रगति पर नजर रखने के लिए राज्यस्तर पर प्रबोधन (मोनेटरिंग) करने के उद्देश्य से तीन प्रपत्रों में आरक्षण आयुक्त के कार्यालय में सूचना भेजना आवश्यक होगा। प्रपत्र 1 तथा प्रपत्र 2 कार्य-योजना की प्रति के साथ दिनांक 30 जून, 1989 तक प्राप्त हो जाने चाहिए। प्रपत्र 3 में सूचना पाक्षिक अवधि के लिए होगी, जो प्रत्येक पक्ष की समाप्ति के एक सप्ताह के अन्दर नियमित रूप से उपलब्ध कराये जायेंगे। प्रपत्र 1, प्रपत्र 3 तथा प्रपत्र 4 के नमूने इसके साथ संलग्न हैं।

(5) आरक्षण का आंकड़ा पूरा करने के लिये प्रमंडलीय आयुक्त संपूर्ण प्रमंडल की रिक्तियां प्रत्येक जिला पदाधिकारी से समेकित रूप से प्राप्त करेंगे तथा आरक्षण पूरा करने के लिये समुचित निर्णय लेने में सक्षम होंगे; परन्तु सरकार को पाक्षिक प्रगति प्रतिवेदन भेजते समय प्रत्येक पक्ष में पूरे प्रमंडल की रिक्तियां एवं नियुक्तियों का समीक्षा प्रतिवेदन (विभागवार) प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा ही भेजा जायगा।

(6) अन्त में अनुरोध है कि सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों/कर्मचारियों को इस परिपत्र में अंकित सरकारी निर्देशों से कृपया यथाशीघ्र अवगत करा दिया जाय तथा उन्हें पहले ही मुस्तैदी के साथ कार्रवाई करने के लिए अवगत करा दिया जाय।

(7) कृपया प्राप्ति सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

ए० यू० शर्मा, मुख्य सचिव।

अनुलग्नक - 1, 2 तथा 3

आरक्षण सम्बन्धी स्मार-पत्र प्रपत्र-1

जिला पदाधिकारियों से सम्बन्धित रोस्टर क्लीयरेन्स के अनुसार दिनांक 31 दिसम्बर, 1988 तक विभाग/कार्यालय में कर्मचारियों/पदाधिकारियों की क्रम संख्या में आरक्षण विवरण।

विभाग/कार्यालय का नाम .... मासान्त .... की स्थिति ।

विभाग का नाम पदनाम एवं वेतनमान	कुल स्वीकृत पद संख्या, नियुक्ति/प्रोन्नति	कार्यरत पदाधिकारी/कर्मचारी की संख्या	गैर आरक्षित पदाधिकारी/कर्मचारी की संख्या	अनुसूचित जाति पदाधिकारी/कर्मचारी की संख्या	प्रतिशत	अनुसूचित जन-जाति पदाधिकारी कर्मचारी की संख्या	प्रतिशत	वर्ग III अलग प्रपत्र में एवं वर्ग IV अलग प्रपत्र में रहेगा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

		वर्ग III				वर्ग II			
विभाग का नाम	पद नाम एवं वेतनमान	सीधी नियुक्ति	प्रोन्नति	प्रोन्नति के सम्वर्ग में आरक्षण	प्रोन्नति के पद के ठीक नीचे स्तर के पद पर आरक्षित कर्मियों की संख्या	सीधी नियुक्ति	प्रोन्नति	प्रोन्नति के सम्वर्ग में आरक्षण	प्रोन्नति के पद के ठीक नीचे स्तर के पद पर आरक्षित कर्मियों की संख्या
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18

आरक्षण हेतु आरक्षित पदों के विवरण का सारपत्र

रोस्टर क्लीयरेंस के आधार पर दिनांक 31 दिसम्बर, 1988 तक के वैसे सीधी नियुक्ति/प्रोन्नति के आरक्षित पद जो अपरिहार्य परिस्थिति में भरे नहीं जा सके हों।

विभाग/कार्यालय का नाम .... मासान्त ....

क्रम सं०	आरक्षण की कोटि	पदों का वर्गीकरण (पदनाम एवं वेतनमान सहित)							
		वर्ग-I				वर्ग-II			
		सीधी नियुक्ति	प्रोन्नति	प्रोन्नति के सम्वर्ग में आरक्षण	प्रोन्नति के पद के ठीक नीचे स्तर के पद पर आरक्षित कर्मियों की संख्या	सीधी नियुक्ति	प्रोन्नति	प्रोन्नति के सम्वर्ग में आरक्षण	प्रोन्नति के पद के ठीक नीचे स्तर के पद पर आरक्षित कर्मियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अनुसूचित जाति								
2.	अनुसूचित जन-जाति								
3.	आर्थिक पिछड़ा वर्ग								
4.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग अनुसूची-I								
5.	पिछड़ा वर्ग अनुसूची-2								
6.	आर्थिक रूप से पिछड़ी महिला (अनुसूची 1 एवं 2 को छोड़कर)।								
7.	आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग								
8.	विकलांग								

आरक्षण रोस्टर पूरा करने सम्बन्धी कार्य-योजना एवं पंजी के चालू आरक्षित बिन्दुओं को भरने हेतु आरक्षण कार्य-योजना एवं प्रगति का पाक्षिक प्रतिवेदन ।

विभाग/कार्यालय का नाम .... पक्षांत ....

क्रम सं०	आरक्षण कोटि	पदों का वर्गीकरण पदनाम तथा वेतनमान सहित								अभ्युक्ति
		समूह "क" श्रेणी I		समूह "ख" श्रेणी II		समूह "ग" श्रेणी III		समूह "घ" श्रेणी IV		
		पिछले पक्ष तक-		आलोच्य पक्षांत में-				कुल लक्ष्य एवं उपलब्धि		
		सीधी नियुक्तियां	प्रोन्नति	सीधी नियुक्तियां	प्रोन्नति	सीधी नियुक्तियां	प्रोन्नति	सीधी नियुक्तियां	प्रोन्नति	
		लक्ष्य उपलब्धि	लक्ष्य उपलब्धि	लक्ष्य उपलब्धि	लक्ष्य उपलब्धि	लक्ष्य उपलब्धि	लक्ष्य उपलब्धि	लक्ष्य उपलब्धि	लक्ष्य उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	अनुसूचित जाति									
2.	अनुसूचित जन-जाति									
3.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग अनुसूची I									
4.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग अनुसूची II									
5.	आर्थिक रूप से पिछड़ी महिला वर्ग (अनुसूची I एवं II को छोड़कर) ।									
6.	आर्थिक पिछड़ा वर्ग (अनुसूची I एवं II को छोड़कर)									
7.	विकलांग									

पत्र संख्या 11/वि० 1-04/89-का०-130

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री ए० यू० शर्मा, सरकार के मुख्य सचिव ।

सेवा में,

आरक्षण आयुक्त-सह-प्रधान सचिव/सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव/सरकार के सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त ।

पटना-15, दिनांक 9 जून, 1989 ।

विषय :- **दिनांक 1 जून, 1989 से आरक्षण नीति को लागू करने के लिये राज्यव्यापी विशेष अभियान– तत्सम्बन्धी प्रशासनिक व्यवस्था ।**

महाशय,

राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि दिनांक 1 जून, 1989 से आरक्षित वर्ग के लिये निर्धारित रिक्त पदों को भरने के लिए एक राज्यव्यापी विशेष अभियान चलाया जाय ।

2. इसके लिए सभी नियुक्ति पदाधिकारियों को इन बिन्दुओं की त्वरित समीक्षा कर लेनी होगी :-

(1) प्रत्येक विभाग में सम्वर्ग बल और उसके विरुद्ध वर्त्तमान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत ।

जहां निर्धारित प्रतिशत कम हो उसे पूरा करने के लिये रिक्त पदों की संख्या को तुरत आंक लिया जाय । यदि उन्हें सीधी नियुक्ति द्वारा भरा जा सकता है तो लोक-सेवा आयोग/अवर सेवा चयन पर्षद अथवा जहां नियुक्ति इन दोनों के माध्यम से नहीं होती हो, वहां के नियुक्ति पदाधिकारी "ऐट मोर फ्रिक्वेन्ट इन्टरवल्स" (At more frequent intervals) विशेष परीक्षा का आयोजन करें ताकि यथाशीघ्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की नियुक्ति की जा सके ।

(2) यदि उपर्युक्त व्यवस्था पर्याप्त नहीं हो तो केवल आरक्षित वर्ग को आरक्षित पदों के विरुद्ध तदर्थ रूप से नियुक्ति की कार्रवाई की जा सकती है । परन्तु तदर्थ नियुक्ति सरकार द्वारा निर्धारित नियम एवं नीति के अनुसार ही की जा सकेगी । राजपत्रित पदों पर तदर्थ नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सहमति से ही की जा सकती है ।

(3) सभी आरक्षित नियुक्तियों की सूचना विधायकों एवं सांसदों को अवश्य दी जायगी और रिक्तियों का व्यापक प्रचार (i) आकाशवाणी (ii) प्रेस एवं (iii) दूरदर्शन द्वारा अवश्य कराया जायेगा ।

(4) जहां तक रोस्टर क्लियर करने का प्रश्न है, प्रत्येक विभाग का रोस्टर कार्मिक विभाग द्वारा अधिक-से-अधिक 10 दिनों के अन्दर अवश्य कर दिया जायगा ।

जिला स्तर पर नियुक्तियों के लिये सभी विभाग का रोस्टर क्लियर जिला दंडाधिकारी द्वारा एवं उसी प्रकार प्रमंडलीय स्तर पर नियुक्तियों के लिये प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा रोस्टर क्लियर किया जायेगा । आरक्षित वर्ग के लिए इम्पलायमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज करवा कर आवेदन करना आवश्यक नहीं होगा । उनसे प्राप्त आवेदनपत्रों को नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा इम्पलायमेंट एक्सचेंज में भेज दिये जाने पर उसे एक्सचेंज अविलम्ब पंजीकृत कर लेगा ।

(5) आरक्षण नीति के समुचित कार्यान्वयन की सीधी जिम्मेवारी विभागीय सचिव/विभागाध्यक्ष की होगी । प्रमंडलीय स्तर पर आरक्षण नीति लागू करने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमंडलीय आयुक्त का होगा ।

इस अधिकार को विभागीय सचिव/विभागाध्यक्ष अथवा प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा किसी पदाधिकारी को "डेलिगेट" नहीं किया जायगा ।

प्रशासनिक व्यवस्था :

(1) आरक्षण आयुक्त-सह-प्रधान सचिव के अधीन आरक्षण नीति का कार्यान्वयन एवं अनुपालन किया जायगा । अपर/संयुक्त सचिव सीधे आरक्षण आयुक्त के अधीन कार्य करेंगे ।

(3) जहां तक आरक्षण नीति एवं कार्यों का सम्बन्ध है कार्मिक सचिव एवं कार्मिक विभाग आरक्षण आयुक्त-सह-प्रधान सचिव के अधीन कार्य करेंगे । तत्सम्बन्धित सभी संचिकाओं को आरक्षण आयुक्त के आदेशार्थ उपस्थापित किया जायगा ।

(4) कंडिका 2(1) में अपेक्षित आंकड़ा विभागीय सचिव, विभागाध्यक्ष एवं प्रमंडलीय आयुक्त बिना विलम्ब संकलित कर आरक्षण आयुक्त को सूचनार्थ एवं आदेशार्थ अवगत करायेंगे । उसी प्रकार सचिवालय स्तर के संयुक्त संवर्ग का आंकड़ा कार्मिक सचिव भी आरक्षण आयुक्त को तुरत प्रस्तुत करेंगे ।

(5) आरक्षण का आंकड़ा पूरा करने के लिये प्रमंडलीय आयुक्त सम्पूर्ण प्रमंडल की रिक्तियां प्रत्येक जिला पदाधिकारी से समेकितरूप से प्राप्त करेंगे तथा आरक्षण पूरा करने के लिए समुचित निर्देश देने में सक्षम होंगे, परन्तु सरकार को पाक्षिक प्रगति प्रतिवेदन भेजते समय प्रत्येक पक्ष में पूरे प्रमंडल की रिक्तियों एवं नियुक्तियों की समीक्षा प्रतिवेदन (विभागवार) प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा ही भेजा जायगा ।

(6) उसी प्रकार आरक्षित वर्ग के लिये निर्धारित पदों पर प्रोन्नति समय पर देने के लिए विशेष अभियान चलाया जाय । कालावधि में अतिरिक्त छूट राज्यस्तर की सेवाओं पर आवश्यकतानुसार देने के प्रस्ताव में आरक्षण आयुक्त के माध्यम से मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करना होगा । अन्य क्षेत्रीय नियुक्ति में प्रमंडलीय आयुक्त का आदेश पर्याप्त होगा ।

इस अभियान के संचालन एवं पर्यवेक्षण के लिए आरक्षण आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी है, जिसमें ग्रामीण विकास विभाग के अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव श्री जिया लाल आर्य एवं बिहार राज्य आवास बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक श्री बी. कपथुआमा सदस्य होंगे ।

यह समिति विभिन्न विभाग के सचिवों द्वारा की गयी कार्रवाई की समीक्षा आवश्यकतानुसार समय-समय पर करेंगे और आरक्षण नीति को तीव्र गति से लागू करने के लिए यथोचित आदेश देंगे ।

विश्वासभाजन,

ए० यू० शर्मा, मुख्य सचिव ।

ज्ञाप संख्या 11/वि० 1-04/89-का० 130

पटना, दिनांक 9 जून, 1989 ।

प्रतिलिपि – सभी जिला दंडाधिकारी/सभी उप-विकास आयुक्त/सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ए० यू० शर्मा, मुख्य सचिव ।

पत्र संख्या-11/का०-10-20/88 का०-120

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री राधा रमण सिंह, सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार, पटना ।

पटना-15, दिनांक 27 मई, 89

विषय :- सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर कालावधि निर्धारण ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग के संकल्प संख्या-9277 दिनांक 29-5-71 की कंडिका-4 के अनुपालन में श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की अनुशंसा के आलोक में श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के नियंत्रणाधीन सेवा में सरकार ने भली-भाँति विचार कर निम्नांकित कालावधि निर्धारण करने का निर्णय लिया है :-

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के नियंत्रणाधीन सेवा :-

क्रमांक	निम्नतर पद	उच्चतर पद	प्रोन्नति के लिए निर्धारित कालावधि
1.	प्रधान लिपिक/वरीय प्रवर कोटि लिपिक/लेखापाल (730-1080 रु०)	लेखा निरीक्षक (850-1360 रु०)	8 (आठ) वर्ष

2. कालावधि की गणना निम्नतर पद पर नियुक्ति / प्रोन्नति की तिथि से की जायेगी ।

विश्वासभाजन,

ह०/-राधा रमण सिंह

सरकार के अवर सचिव ।

पत्र संख्या-3/एम 1-5066/86-का० 6725

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री एम० एल० मजुमदार, सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्त्ता ।

पटना-15, दिनांक 22 मई, 1989
1 जेठ, 1911 (श०)

विषय :- सरकारी सेवा में अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे कहना है कि अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के 15-सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन राज्य में किया जा रहा है । इन 15-सूत्री कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम यह है कि सरकारी सेवा में तथा विभिन्न लोक उपक्रमों में अल्पसंख्यक समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए । चूँकि अल्पसंख्यक समुदायों के लिए पद आरक्षित रखना संवैधानिक नहीं है, इसलिए यह आवश्यक है कि इन समुदायों के उम्मीदवारों को विशेषरूप से चयन किया जाय ताकि सरकारी सेवा एवं सरकार के अधीन लोक उपक्रमों के सेवा में उनको प्रतिनिधित्व पर्याप्त हो ।

2. उपर्युक्त तथ्य के आलोक में सरकार ने इस विषय पर भली-भाँति विचार कर निम्न निर्णय लिया है ।

3. नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु गठित चयन समिति/आयोग में अल्पसंख्यक समुदाय (यथा मुस्लिम, ईसाई एवं सिक्ख) के किसी एक पदाधिकारी को यथासंभव सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाय ।

4. सरकार का विचार है कि चयन/प्रोन्नति समिति में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधित्व सदस्य के रूप में रहना सरकारी सेवा/लोक उपक्रम के सेवा में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व में सहायक सिद्ध होगा ।

विश्वासभाजन,
ह०/- एम० एल० मजुमदार
सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या 3/एम 1-5066/86-का०-6725

पटना-15, दिनांक 22 मई, 1989
1 जेठ, 1911 (श०)

प्रतिलिपि - अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

2. अनुरोध है कि यह व्यवस्था लोक उपक्रमों में भी लागू की जाय ।

ह०/-एम० एल० मजुमदार
सरकार के सचिव ।

पत्र संख्या-11/आ० वि० स०1-24/88 का०-113

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री राधा रमण सिंह, सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना-15, दिनांक 16 मई, 89

विषय :- सरकारी सेवा में प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर कालावधि निर्धारण ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग के संकल्प संख्या-9277 दिनांक 29-5-71 की कंडिका-4 के अनुपालन में सहकारिता विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में चालक संवर्ग में प्रोन्नति हेतु सरकार ने भली-भाँति विचार कर निम्नांकित कालावधि निर्धारण करने का निर्णय लिया है :-

सहकारिता विभाग के नियंत्रणाधीन सेवा :-

क्रमांक	निम्नतर पद	उच्चतर पद	प्रोन्नति के लिए निर्धारित कालावधि
1.	चालक (425-605 रु०)	कनीय प्रवर कोटि चालक (480-680 रु०)	5 (पाँच) वर्ष
2.	कनीय प्रवर कोटि चालक (480-680 रु०)	वरीय प्रवर कोटि चालक (535-765 रु०)	5 (पाँच) वर्ष

2. कालावधि की गणना निम्नतर पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति की तिथि से की जायेगी ।

विश्वासभाजन,

ह०/- राधा रमण सिंह

सरकार के अवर सचिव ।

पत्र संख्या-11/आ० वि० स० 1-260/88 का०-173

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री राधा रमण सिंह, सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना-15, दिनांक 8 अगस्त, 88

विषय :- सरकारी सेवा में प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर कालावधि निर्धारण ।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग के संकल्प संख्या-9277 दिनांक 29-5-71 की कंडिका-4 के अनुपालन में वित्त विभाग के अनुशंसा के अलोक में सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना में स्टोर कीपर-कम-डिस्पैचर से फोरमैन के पद पर प्रोन्नति हेतु सरकार ने भली-भाँति विचार कर प्रोन्नति के लिए कालावधि निर्धारण करने का निर्णय लिया है :-

वित्त विभाग के नियंत्रणाधीन सेवा :-

निम्नतर पद	उच्चतर पद	प्रोन्नति के लिए निर्धारित कालावधि
स्टोर कीपर-कम-डिस्पैचर	फोरमैन	5 (पाँच) वर्ष
वेतममान (680-985 रु०)	वेतनमान (730-1080 रु०)	

2. कालावधि की गणना निम्नतर पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति की तिथि से की जायेगी ।

विश्वासवभाजन,

ह०/- राधा रमण सिंह

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञाप संख्या-11/आ० वि० स०-260/88 का० 173 पटना-15, दिनांक 8 अगस्त, 88

प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी-11 को अभिलेख के लिए प्रेषित ।

ह०/- राधा रमण सिंह

सरकार के अवर सचिव ।

N0 BC. 12025 / 1/ 82 SC&BCD IV

Government of India/Bharat Sarkar

Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya

New Delhi, dated 29 June 1988

To,

The Cheif Secretaries of all State Governments/

Union Terroitory Administrations.

Subject : Issue of Scheduled Caste/Tribe Certificates-providing for punishments for officials issuing such certificates without proper verification.

Sir,

I am directed to say that it was mentioned in the meeting of the Consultative Committee for the Ministry of Home Affairs held in Feb. 1982 that Scheduled Caste/Tribe certificates have been issued to ineligible persons, carelessly or deliberately without proper verification by the officials empowered to issue such certificates. This have resulted in some persons availing them of the benefits meant for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes on false pretext. The Consultative Committee has desired that suitable steps should be taken to prevent such wrong issue of certificates.

2. Attention is invited to this Ministry's letter No. Br. 12025/3/78-SCT-I dated 29th March 1976 addressed to the Chief Secretaries of all the State Governments/U.T. Administrations requesting them to take deterrent action against officials who issued certificates carelessly or deliberately without proper verification. The State Governments / U.T. Administrations were requested to issue necessary instructions to all the officials under their control who are empowered to issue certificates to take proper care before issuing them. These officials were also to be informed that action would be taken against them under the relevant provisions of the Indian Penal Code (Section-420 etc.) if any of them is found to have issued certificates carelessly and without proper verification in addition to the action to which they are liable under the appropriate disciplinary rules applicable to them.

3. It is reqested that the action taken in the matter by the State Governments/U.T. Administrations may kindly be intimated to this Ministry urgently with regard to the following points :-

(i) Number of begus certificates datected during the last 2 years (1980 and 1981).

(ii) Action taken against the erring officials.

(a) Under the relevant provision of the I.P.C.

(b) Under the appropriate disciplinary rules applicable to them.

(iii) Action taken against persons who obtained bogus certificates under IPC. etc.

(iv) Details of the steps taken to curb such malpractices in future.

4. The State Governments and U.T. Administrations are also requested to take strict measures to detect such cases of non-Scheduled Caste and non-Scheduled Tribe persons holding false S.C. / S.T. Certificates, deprive them of benefits that they are not entitled to, and impose appropriate penalties and take legal action against them and against those who were responsible for the issue of such certificates, strictly and expeditiously. Further, it was suggested in the Consultative Committee meeting that the State Governments / U.T. Administrations may set up special courts for expeditiously trying the cases relating to the issue of bogus certificates with deterrent rapidity and give wild publicity to the names of persons who are convicted of this offence by the courts.

Yours faithfully

(B. N. Srivastava)

Director

Copy forwarded for information :-

1. Department of Personnel & A.R. Establishment (SCT) Section.
2. Secretary, Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Lok Nayak Bhawan, New Delhi.
3. Commissioner for SC/ST, R.K. Puram, New Delhi.
4. Secretary, U.P.S.C. / Secretary, Staff Selection Commission.
5. All the Ministries/Departments.
6. All the Divisions of the Ministry of Home Affairs
7. SC & BCD. I / II / III /VI Sections / PCR Cell/ PCR Desk/T. D. Division.
8. 150 spare copies

(B.N. Srivastava)

Director.

सं० 12025/1/82 एस. सी. एण्ड बी. सी. डी.-IV

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक : 29 जून, 1988

सेवा में

मुख्य सचिव,

सभी राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन

विषय : अनुसूचित जातियों/जनजातियों को प्रमाण पत्र देना—बिना यथोचित सत्यापन के ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों को दण्ड देने की व्यवस्था करना ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति की फरवरी, 1982 में हुई बैठक में कहा गया था कि अनुसूचित जाति/जन जाति के प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारियों द्वारा असावधानी अथवा जानबूझ कर, बिना यथोचित सत्यापन किए, अपात्र व्यक्तियों को जारी किए गए हैं, इसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित पदों का लाभ कुछ व्यक्ति झूठे आधार पर उठा रहे हैं । सलाहकार समिति का विचार है कि ऐसे गलत प्रमाण पत्र जारी करने को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाये ।

2. सभी राज्य सरकारों / संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिवों को भेजे गए इस मंत्रालय के पत्र सं० बीसी-12025/3/79 एस. सी. टी. -1 दिनांक 29 मार्च 1976 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें अनुरोध किया गया था कि वे ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें जिन्होंने असावधानी से अथवा जानबूझ कर बिना यथोचित सत्यापन किए, प्रमाण पत्र जारी किए हैं । राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने नियंत्राधीन अधिकारी जिनको प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है को आवश्यक अनुदेश जारी करें कि वे ऐसे प्रमाण पत्र देने से पूर्व यथोचित सावधानी बरतें । इन अधिकारियों को यह भी सूचना दी जानी थी कि उनमें से कोई असावधानी से और बिना यथोचित सत्यापन किए प्रमाण पत्र जारी करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध उन पर लागू होने वाले उपयुक्त अनुशासनात्मक नियमों के अधीन कार्रवाई करने के अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता (धारा 420 आदि) के तत्संबंधी उपबंधों के अधीन कार्रवाई की जाएगी ।

3. अनुरोध है कि राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन कृपया इस मामले में निम्नलिखित मदों के संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना इस मंत्रालय को तुरन्त भेजें :-

(1) गत दो वर्षों (1980 और 1981) के दौरान जारी किए गए झूठे प्रमाण पत्रों की संख्या ।

(2) गलती करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध (क) भारतीय दंड संहिता के तत्संबंधी उपबन्धों के अधीन (ख) यथोचित अनुशासनात्मक नियम जो उन पर लागू होते हैं के अधीन की गई कार्रवाई ।

(3) झूठे प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत की गई कार्रवाई

(4) भविष्य में ऐसे कदाचार को रोकने के लिए की गई कार्रवाई के ब्योरे ।

4. राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों प्रशासनों से यह भी अनुरोध है कि गैर अनुसूचित जाति तथा गैर अनुसूचित जन जाति के लोग जिन्होंने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं उनका पता लगाने के लिए कठोर कार्रवाई करें और उन्हें उन लाभों को प्राप्त करने से वंचित करें जिनके लिए वे पात्र नहीं हैं तथा यथोचित सजा दें और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करें साथ ही उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करें जो ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उत्तरदायी हैं, यह कार्रवाई कठोरता से तत्काल की जाए । सलाहकार समिति की बैठक में यह सुझाव दिया गया था कि राज्य सरकारें / संघ शासित क्षेत्र प्रशासन झूठे प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी मामलों पर तत्काल विचारण के लिए विशेष अदालतें बनाएँ ताकि उन पर शीघ्र कार्रवाई की जाए । उन व्यक्तियों के नामों का प्रचार किया जाए जिनको इस अपराध के न्यायालयों द्वारा सजा दी गई है ।

भवदीय

(बी० एन० श्रीवास्तव)

निदेशक

निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रतियां भेजी गई :-

1. कार्मिक तथा प्रशासन सुधार विभाग, प्रस्थापना विभाग (एस. सी. डी.) अनुभाग ।
2. सचिव, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति आयोग, लोकनायक भवन, नई दिल्ली ।
3. आयुक्त, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली ।
4. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग/सचिव, कर्मचारी चयन आयोग ।
5. सभी मंत्रालय/विभाग ।
6. गृह मंत्रालय के सभी प्रभाग ।
7. एस. सी. एण्ड बी. सी. डी.- I / II / III / V अनुभाग/पी. सी. आर एकक/ पी. सी. आर. डेस्क/टी.डी. डिवीजन
8. 150, अतिरिक्त प्रतियां ।

(बी० एन० श्रीवास्तव)

निदेशक

पत्र संख्या 11/आ० - 02/05 का० 118

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री जगन्नाथ प्रसाद शर्मा

सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनाक 17 जून, 88

विषय : **खरवार तथा गोंड़ (gond) जाति के लोगों को अनु० जन जाति का जाति प्रमाण- पत्र निर्गत करने के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर मुझे कहना है कि कार्मिक विभाग संकल्प संख्या-101 दिनांक 19-2-88 की कंडिका-5 में गोंड एवं खरवार जातियों जो अनु० जन जाति के हैं, को जाति प्रमाण पत्र देने के संबंध में सरकार का अनुदेश था कि इन जातियों को प्रमाण - देने के पूर्व संबंधित अधिकारी राजस्व अभिलेख के आधार पर पूरी तरह जाँच करने के बाद सुनिश्चित कर लेगें कि आवेदक वास्तव में खारवार या गोंड जाति के ही हैं ।

परन्तु अखिल भारतीय खरवार कल्याण महासभा ने इस संबंध में राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है कि राजस्व अभिलेख के आधार पर जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करना संभव नहीं हो रहा है क्योंकि राजस्व अभिलेख बहुत पुराने हैं और उसमें सम्बन्धित व्यक्तियों का नाम अंकित नहीं है । अतः उक्त महा सभा के अनुरोध पर भली-भाँति विचारोपरान्त राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि राजस्व अभिलेख के अतिरिक्त निम्नलिखित अभिलेखों के आधार पर भी पूर्णरूपेण जाँच कर जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा सकता है :-

(क) राजस्व अभिलेख

(ख) खरवार / गोंड (gond) जाति के भूमिहीन सदस्यों के संबंध में पंचायत स्तर या प्रखंड स्तर पर ऐसे अभिलेख जिनमें जाति का उल्लेख किया जाता है ।

(ग) उपर्युक्त अभिलेखों के साथ-साथ कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या 181 दिनांक 19-2-88 में निर्गत अनुदेश के अनुसार अन्य स्रोतों से भी पूर्ण जाँच कर जाति के संबंध में सुनिश्चित हो लेना आवश्यक है ताकि जो वास्तव में खरवार/गोंड़ (gond) जाति के सदस्य है उन्हें ही प्रमाण-पत्र मिले।

(घ) जाँच के क्रम में ऐसे पुराने दस्तावेज जो भूमि अथवा मकान से संबंधित हों उन्हें भी ध्यान में रखा जा सकता है ।

(ङ) सभी जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जाति प्रमाण-पत्र देने से खरवार एवं गोंड (gond) जाति के सदस्यों को किसी स्तर पर अनावश्यक कठिनाई न हो और सम्यक जाँचोपरान्त यथाशीघ्र प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाय ।

3. आपसे अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाले सभी अधिकारिता प्राप्त पदाधिकारियों को सरकार के उपर्युक्त निर्णय से अवगत करा दें तथा सुनिश्चित करें कि इसका अनुपालन हो ।

विश्वासभाजन,

ह०/-जगन्नाथ प्रसाद शर्मा

सरकार के संयुक्त सचिव

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

संकल्प

विषय : **स्नातक स्तर की परीक्षा में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिये 45 प्रतिशत मानक निधरित करने के सम्बन्ध में ।**

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 756 दिनांक 10-11-1978 द्वारा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 12 प्रतिशत राज्यस्तर पर सीधी नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान किया गया है । यह भी प्रावधान है कि आरक्षण सम्बन्धी सभी प्रक्रिया वही होगी जो अनु० जाति/जनजाति के लिये लागू है ।

2. अनु० जाति/जनजाति की सीधी नियुक्ति हेतु कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या 13957 दिनांक 31-7-1972 में यह प्रावधान किया गया है कि रिक्तियों के शत-प्रतिशत भरने के उद्देश्य से निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक (Minimum Qualifying Marks) को $33^1/_3$ प्रतिशत न्यूनतम सीमा तक शिथिल किया जा सकता है । स्नातक स्तर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा 1985 में शरीक हुए उम्मीदवारों ने एक अभ्यावेदन द्वारा सरकार से मांग की है कि उक्त सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में भी अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिये न्यूनतम अर्हतांक (Minimum Qualifying Marks) 45 प्रतिशत रखा जाय जबकि अवर सेवा चयन पर्षद ने स्वयं इस सीमित प्रतियोगिता के अत्यन्त पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों के लिये न्यूनतम अर्हतांक 50 प्रतिशत रखा है । उक्त सीमित प्रतियोगिता परीक्षा अनु० जाति/जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिये विज्ञापन में निर्दिष्ट पदों की रिक्तियों को भरने के लिये आयोजित की गई थी । यह प्रावधान है कि उपर्युक्त वर्गों के उम्मीदवारों के लिये आरक्षित रिक्तियों के सामान्य प्रतियोगिता परीक्षा से नहीं भरे जाने की स्थिति में मात्र उन्हीं तक सीमित रिक्तियों को भरने के लिये सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है । पर्षद् द्वारा अत्यन्त पिछड़ी जाति के लिए उक्त सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में 50 प्रतिशत न्यूनतम अर्हतांक निर्धारित करने के बावजूद सभी रिक्तियां भरी नहीं जा सकीं । अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिये विभिन्न इंगित पदों के लिये समेकित रूप से कुल 92 रिक्त पदों में से मात्र 45 पद ही भरे जा सके हैं और इस प्रकार 47 पद अभी रिक्त हैं ।

3. चूंकि अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित रिक्तियों को न भर सकने की स्थीति में, अनु० जाति/ जनजाति की न भरी जा सकीं रिक्तियों की तरह अगले तीन भर्त्ती वर्षों तक अग्रणीत करने का प्रावधान है, तथा अनु० जाति/जनजाति के प्रसंग में ऐसा प्रावधान है कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक में $33^1/_3$ प्रतिशत की न्यूनतम सीमा तक ढील दी जा सकती है, अतएव सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों तथा अनु० जाति/जनजाति के उम्मीदवारों के लिये निर्धारित क्रमशः 50 प्रतिशत और 40 प्रतिशत के न्यूनतम अर्हतांक के बीच किसी बिन्दु पर अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को भी 50 प्रतिशत के निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक में कुछ ढील देना सर्वथा उपयुक्त होगा । इस मामले में विधान परिषद की याचिका समिति में भी विचार किया गया था । याचिका समिति का उपर्युक्त

जैसा अनुकूल मन्तव्य हुआ था और उसी के अनुसार सरकार का उल्लिखित निर्णय हुआ तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिये निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक में 5 प्रतिशत की ढील देकर इसे 45 प्रतिशत निर्धारित किया गया ।

4. इस माँग में काफी औचित्य है कि जब अनु० जाति/जन जाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिये न भरी जा सकी आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये विशेष सीमित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गयी और जिनमें अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिये निर्धारित 50 प्रतिशत न्यूनतम अर्हतांक के बावजूद उनके लिये आरक्षित रिक्तियों में से 50 प्रतिशत से भी कम रिक्तियां भरी जा सकीं तो क्यों नहीं न्यूनतम अर्हतांक को पूर्ववत घटाकर 45 प्रतिशत कर दिया जाय ।

5. अत: उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने निम्नांकित निर्णय लिया है :-

(क) सीधी भर्त्ती से नियुक्तियों में जहाँ भी अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिये न्यूनतम अर्हतांक 50 प्रतिशत हो, किन्तु इसके अधीन अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित रिक्तियां शत-प्रतिशत न भरी जा सके, तो वैसी स्थिति में न्यूनतम अर्हतांक को शिथिल कर इसे 45 प्रतिशत निर्धारित किया जाय ।

(ख) न्यूनतम अर्हतांक में उपर्युक्त सशर्त्त शिथिलीकरण का लाभ सामान्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रसंग में आदेश निर्गत होने की तिथि तक अप्रकाशित परीक्षाफलों से लागू किया जाय तथा अत्यन्त पिछड़ी जाति की आरक्षित रिक्तियों को भरने के उद्देश्य से की गई उन सभी सीमित प्रतियोगिता परीक्षाओं पर लागू किया जाय जो वर्ष 1985 में या उसके बाद आयोजित की गयीं, किन्तु विज्ञापन में उनके लिये निर्दिष्ट रिक्तियां 50 प्रतिशत के न्यूनतम अर्हतांक के अधीन भरी न जा सकीं ।

आदेश :- आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिये इसे राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार/बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद/सभी एवं प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेजी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ह०/- जगन्नाथ प्रसाद शर्मा
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक 11/आ० 01-209/85 का०-107 पटना-15, दिनांक 3 जून, 88

प्रतिलिपि – सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/महालेखाकार, बिहार, रांची/बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/-जगन्नाथ प्रसाद शर्मा
सरकार के संयुक्त सचिव ।

संख्या-11/आ० 1-101/87-188 का०

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री आर० श्रीनिवासन,

सरकार के मुख्य सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला दंडाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 8 जुलाई, 1987

विषय : - जिला स्तर पर नियुक्तियों / प्रोन्नतियों में आरक्षण नीति का अनुपालन ।

महाशय,

जैसा कि आपको विदित है, बिहार सरकार ने भारतीय संविधान के उपबन्धों के अनुसार, वर्ष 1953 में दी अपने अधीन सेवाओं एवं पदों की सीधी नियुक्तियों में अनु० जाति एवं अनु० जन जाति के सदस्यों के लिये आरक्षण निर्धारित किया । बर्ष 1971 में उपर्युक्त दोनों वर्गों के लिये प्रोन्नति में भी आरक्षण करने का निर्णय लिया गया । बाद में, वर्ष 1978 में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग / पिछड़ा वर्ग आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग तथा महिलाओं को भी केवल सीधी भर्त्ती में आरक्षण की सुविधा प्रदान की गयी ।

2. राज्य सरकार को सूचना मिली है कि जिला स्तर पर होने वाली नियुक्ति / प्रोन्नति में सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति का अनुपालन सही रूप में नहीं किया जा रहा है । वस्तुस्थिति की जानकारी के लिये राज्य सरकार चिन्तित है । अतएव आपसे अनुरोध है कि जिला स्तर पर नियुक्तियों / प्रोन्नतियों में आरक्षण नीति के अनुपालन के सम्बन्ध में निम्नलिखित वांछित सूचनाओं के साथ संलग्न प्रपत्र में एक प्रतिवेदन सचिव, कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग को दिनांक 30 जुलाई, 1987 तक अवश्य दें, जिससे कि वस्तुस्थिति से मंत्रिपरिषद् को अवगत कराया जा सके :-

1) वर्ष 1986-87 में जिला स्तर पर किस-किस और कितने पदों पर नियुक्ति हुई ?

2) नियुक्त किये गये पदों में कितने पद आरक्षित विन्दु पर थे ?

3) आरक्षित बिन्दुओं के रिक्त पदों पर कितने आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों को नियुक्त / प्रोन्नत किया गया ?

4) कितने पद आरक्षित बिन्दु पर पड़ते थे, उन्हें यदि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा नहीं भरा गया है, तो इसका क्या कारण है ?

3. इसे कृपया सर्वोच्च प्राथमिकता दें ।

विश्वासभाजन,

ह० /- आर० श्रीनिवासन

सरकार के मुख्य सचिव

ज्ञाप संख्या- 11/आ० 1-101/87 का०-188 पटना, दिनांक 8 जुलाई, 1987 ।

प्रतिलिपि-सभी उप विकास आयुक्त / सभी अनुमंडल पदाधिकारी सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह० /- आर० श्रीनिवासन

सरकार के मुख्य सचिव

पत्र संख्या-11/आ०-नि० स०-1-101/86 का०-112

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री एन० के० अग्रवाल,

सरकार के सचिव ।

सेवा में

सरकार के सभी प्रधान सचिव / आयुक्त और सचिव / सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 8 मई, 87

विषय :- **सरकारी सेवा में प्रोन्नति हेतु रोस्टर बिन्दु के अनुसार अनु० जाति के लिये अनुमान्य बिन्दु पर केवल अनु० जाति तथा अनु० जन जाति के पद पर केवल अनु० जन जाति, अगर संबंधित आरक्षित श्रेणी के सदस्य उपलब्ध हों, को प्रोन्नति देने के संबंध में ।**

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि राज्य सरकार ने सरकारी सेवा / पद को प्रोन्नति द्वारा भरे जाने के मामले में दिनांक 15-6-71 से अनु० जाति के लिये 14 प्रतिशत तथा जन जाति के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया था, जिसके कार्यान्वयन के लिये कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग के परिपत्र संख्या 20165 दिनांक 8-11-75 द्वारा प्रोन्नति से संबंधित 50 रिक्तियों की एक संशोधित रोस्टर सूची परिचारित की गयी थी ।

2. कार्मिक विभाग के पत्र संख्या 11/ आर-III/75-10132 का० दिनांक 10-6-75 में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि तीन भर्ती वर्षों तक रिक्तियों को अग्रनीत करने के बाद, यदि रोस्टर बिन्दु के अनुसार प्रोन्नति हेतु अनु० जाति के सदस्य उपलब्ध नहीं हों और उनकी जगह अनु० जन जाति के सदस्य उपलब्ध हों अथवा अनु० जनजाति के लिए अनुमान्य बिन्दु के लिए अनु० जनजाति के सदस्य उपलब्ध नहीं हों पर अनु० जाति के सदस्य उपलब्ध हों और वे प्रोन्नति हेतु योग्यता रखते हों, तो अनु० जाति के लिये अनुमान्य रिक्ति के विरुद्ध अनु० जन जाति के सदस्य और अनु० जन जाति के लिये अनुमान्य रिक्ति के विरुद्ध अनु० जाति के सदस्य को प्रोन्नति दी जाय । दोनों में कोई उपलब्ध न हों तभी उसे अनारक्षित कराने की कार्रवाई की जाय ।

सुविधा के लिये उक्त परिपत्र के संगत अंश का उद्धरण नीचे दिये जा रहा है :-

"हरिजन एवं आदिवासियों के लिये जो रिक्तियाँ हैं, वे यदि सुरक्षित जाति के योग्य उम्मीदवारों के अभाव में न भरी जा सकी हों तो उन्हें तीन भर्ती वर्ष तक अग्रनीत (केरी फारवर्ड) की जाय तथा इस बीच में फिर से विज्ञापन निकाला जाय। अगर फिर से विज्ञापन निकालने के बाद भी समुचित संख्या में वे उपलब्ध नहीं हो तब पदों को केरी फार्वर्ड (अग्रनीत) करते रहा जाय। तृतीय वर्ष अगर यह पाया जाय कि सुयोग्य हरिजन उम्मीदवार हरिजन पद के लिये या सुयोग्य आदिवासी उम्मीदवार आदिवासी पद के लिये उपलब्ध नहीं हो तो हरिजनों के लिये सुरक्षित पद पर आदिवासियों को और आदिवासियों के लिये सुरक्षित पद पर हरिजनों को बहाल किया जाय।"

3. कुछ विभागों ने कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से पृच्छा की है कि अनु० जाति के लिये अनुमान्य रोस्टर बिन्दु पर यदि अनु० जाति के सदस्य उपलब्ध हों परन्तु उनसे वरीय अनु० जन जाति के सदस्य भी उपलब्ध हों, तो वैसी स्थिति में वरीयता के आधार पर अनु० जन जाति के सदस्य को अनु० जाति के लिये अनुमान्य बिन्दु पर प्रोन्नति दी जा सकती है, अथवा नहीं।

4. उपर्युक्त पृच्छा की गहन समीक्षा के उपरान्त राज्य सरकार के निर्णय लिया है कि रोस्टर की व्यवस्था के अनुसार आरक्षित श्रेणी में अगर रिक्ति अनु० जाति को अनुमान्य है और उस श्रेणी के सदस्य उपलब्ध हैं, तो उनसे वरीय अनु० जन जाति के सदस्य के उपलब्ध होते हुए भी अनु० जाति के सदस्य को ही प्रोन्नति दी जाय। इसी प्रकार अगर रिक्ति अनु० जन जाति को अनुमान्य है और अनु० जन जाति के सदस्य उपलब्ध है तो रिक्ति के विरुद्ध अनु० जन-जाति के सदस्य को ही प्रोन्नति दी जाय भले ही उनसे वरीय अनु० जाति के सदस्य उपलब्ध हों।

5. अगर रोस्टर विन्दु के अनुसार अनु० जाति के सदस्य उपलब्ध नहीं हों तभी अनु० जाति के लिये अनुमान्य पद पर अनु० जन जाति के सदस्य को प्रोन्नति दी जाय। इसी प्रकार, अगर रोस्टर विन्दु के अनुसार अनु० जन जाति के सदस्य उपलब्ध नहीं हों तभी अनु० जन जाति के लिये अनुमान्य पद पर अनु० जाति के सदस्य को प्रोन्नति दी जाय।

उपर्युक्त के अनुसार प्रोन्नति देने के पूर्व इस बात को सुनिश्चित कर लिया जाय कि संबंधित सदस्य प्रोन्नति हेतु वांछित अर्हता रखते हैं तथा अन्य विहित शर्तें पूरी करते हैं।

विश्वासभाजन,

ह०/-एन० के० अग्रवाल

सचिव

पत्र संख्या 11 / आ० 1-102/86 का०-471

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री महेश प्रसाद,

सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलायुक्त/सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15 दिनांक 19 अगस्त, 86

विषय : - सरकार के आरक्षण नीति की अवहेलना करने वाले सक्षम दोषी पदाधिकारी को दंडित करने के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कल्याण विभाग के ज्ञापांक 4889 दिनांक 15-7-86 द्वारा प्राप्त दिनांक 20-6-86 को पुराना सचिवालय कक्ष में हुई बिहार राज्य हरिजन परामर्शदातृ परिषद की बैठक की कार्यवाही की कंडिका-22 के आलोक में मुझे कहना है कि सरकारी सेवा के नियुक्ति एवं प्रोन्नति में कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग के परिपत्र सं० 16440 दिनांक 2-12-80 एवं 16441 दिनांक 2-12-80 द्वारा वर्ग-3 एवं 4 के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रक्रिया निरूपित की गयी है, जिसके तहद नियुक्ति के पूर्व (1) विज्ञापन निकालना / नियोजनालय से नाम माँगना (2) आरक्षण रोस्टर क्लीयर कराना एवं (3) चयन समिति द्वारा चुनाव करना आवश्यक है ।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रक्रिया अपनाये बिना जो नियुक्तियाँ की गई हैं उनके बारे में सूचना आरक्षण आयुक्त को तुरन्त भेजी जाय तथा साथ ही इसके लिये जो पदा० दोषी हो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाय तथा इसकी भी सूचना आरक्षण आयुक्त को तुरन्त दी जाय ताकि समिति की अगली बैठक में माननीय सदस्यों को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सकें ।

2. कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-महेश प्रसाद

सरकार के विशेष सचिव

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 ज्येष्ठ, 1908 (श०)

(सं० पटना 327) पटना, वृहस्पतिवार 19 जून, 1986

ज्ञापांक 11/अ० 1-201/86 का० 347

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

7 जून 1986

विषय – **राज्य सरकार के विभागों एवं प्रतिष्ठानों के अन्तर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधी नियुक्ति में विकलांगों के लिये 3 प्रतिशत पदों का आरक्षण ।**

संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन् 1981 वर्ष को अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किया था । विकलांगों के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधायें देने हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था । भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के विकलांगों के लिये केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में श्रेणी 3 और 4 के पदों में आरक्षण का प्रावधान किया गया । साथ ही, विकलांगों की कठिनाइयों को दृष्टि में रखते हुए उनके उपयुक्त श्रेणी 3 और 4 के पदों की पहचान (identification) भी की गयी है (अनुलग्नक-1) ।

2. विकलांग की श्रेणी में निम्नांकित व्यक्ति भारत सरकार द्वारा शामिल किये गये हैं :-

(1) शारीरिक रूप से विकलांग (आर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ट)

(2) मूक एवं वधिर

(3) नेत्रहीन

उक्त तीनों श्रेणियों के लिये जिन-जिन पदों की पहचान की गयी है उसका उल्लेख अनुलग्नक (1) में किया गया है ।

3. भारत सरकार द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय तथा उनसे प्राप्त निदेश के अनुरूप राज्य सरकार भी इस प्रश्न पर छानबीन कर रही थी कि वस्तुत: बिहार राज्य में विकलांगों के लिये सरकारी सेवाओं तथा प्रतिष्ठानों में उपलब्ध पदों पर कुछ अंश तक आरक्षण की व्यवस्था संभव है या नहीं । बिहार राज्य में, राज्यस्तर पर जो नियुक्तियां की जाती हैं, उनमें 14 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 10 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति, 12 प्रतिशत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, 8 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग, 3 प्रतिशत महिला तथा 3 प्रतिशत आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाता है और इस प्रकार कुल रिक्तियों के 50 प्रतिशत पद आरक्षित हैं। अतएव उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में राज्यस्तर की नियुक्तियों में अब अन्य श्रेणी के व्यक्तियों को आरक्षण देना संभव नहीं है ।

4. राज्यस्तर के अतिरिक्त, प्रमंडल एवं जिला स्तर पर भी नियुक्तियां की जाती हैं । प्रमंडल तथा जिला स्तर के लिये अलग से रोस्टर की व्यवस्था है । इस रोस्टर में मात्र अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिये ही आरक्षण की व्यवस्था है । पिछड़ा वर्ग के अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के लिये इस रोस्टर में कोई व्यवस्था नहीं है । सामान्य रोस्टर, जो विभिन्न प्रमंडलों एवं जिलों में लागू है, के हिसाब से रांची एवं सिंहभूम जिला को छोड़कर कहीं भी 45½ प्रतिशत से अधिक रिक्तियें में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है । रांची में 50 प्रतिशत तथा सिंहभूम में 49 प्रतिशत रिक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था है । स्पष्टतया रांची जिला में अन्य श्रेणी को आरक्षण देना संभव नहीं है । सिंहभूम जिला में 1 (एक) प्रतिशत आरक्षण दिया जा सकता है । राज्य के शेष जिलों में 3 प्रतिशत का आरक्षण आसानी से विकलांगों को देने पर विचार किया जा सकता है ।

5. विकलांगों के लिये सामान्य रूप से हर प्रकार के रिक्त पदों पर आरक्षण लागू करना व्यावहारिक दृष्टिकोण से संभव नहीं है । प्रत्येक प्रशासी विभाग/प्रतिष्ठान के प्रशासनिक नियंत्रण में रिक्त पदों पर नियुक्ति के पूर्व यह पहचान (identify) करने की आवश्यकता होगी कि विकलांगों की शारीरिक कठिनाइयों को दृष्टि में रखते हुए उनके उपयुक्त कौन-कौन पद हो सकते हैं जिनके कर्त्तव्यों के निर्वहन में शारीरिक तथा कार्यक्षमता के दृष्टिकोण से विकलांग सक्षम हो सकें ।

6. अत: मंत्रिपरिषद के दिनांक 8 मई, 1986 के निर्णयानुसार आदेश दिया जाता है कि--

(क) योग्य एवं अर्हता प्राप्त विकलांग उम्मीदवारों, जिनसे (1) शारीरिक रूप से विकलांग (Orthopaedically handicapped), (2) मूक एवं वधिर तथा (3) नेत्रहीन व्यक्तियों से अभिप्रेत है, को राज्यस्तरीय वर्ग 3 तथा 4 के पदों की रिक्तियों में, श्रेणीवार उपलब्ध आरक्षण में उसी श्रेणी के ऐसे योग्य एवं अर्हता प्राप्त विकलांग उम्मीदवारों को प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति की जाय ।

(ख) प्रमंडलीय स्तर पर नियुक्तियों में विकलांगों को 3 प्रतिशत आरक्षण दिया जाय ।

(ग) जिला स्तर पर सिंहभूम जिला के विकलांगों को 1 (एक) प्रतिशत तथा रांची जिला को छोड़कर अन्य जिलों में 3 (तीन) प्रतिशत आरक्षण दिया जाय (रांची जिला में तत्काल आरक्षण देना संभव नहीं है ।)

(घ) उपर्युक्त आरक्षण uniformed वर्दीधारी सेवाओं यथा पुलिस, होमगार्ड तथा क्षेत्रीय सेवाओं (field job) (यथा प्रशासनिक सेवायें) में लागू करना कठिन होगा । अतएव, जहां डेस्क या कार्यालय स्तर तक ही सेवा (job) हो, वहीं वर्ग 3 एवं 4 के पदों पर उपयुक्ततानुसार विकलांग उम्मीदवारों के लिये आरक्षण किया जाय ।

(ङ) विकलांग उम्मीदवारों को उपयुक्ततानुसार आरक्षण का लाभ सरकारी संकल्प निर्गत होने की तिथि से बाद की रिक्तियों पर दिया जाय । साथ ही, राज्य सरकार के उपक्रमों यथा प्राधिकार, स्थानीय निकाय, पर्षदों एवं निगमों, जिनमें प्रमंडल तथा जिला स्तर के लिये निर्धारित आरक्षण रोस्टर के अनुसार नियुक्तियां की जाती हों, में भी विकलांगों के लिये उपर्युक्त आरक्षण लागू होगा ।

7. जहां तक इस आदेश को उच्च न्यायालय/पटना बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद के कर्मचारियों के प्रसंग में लागू करने का प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय, अध्यक्ष, विधान सभा/विधान परिषद की सहमति/परामर्श प्राप्त कर बाद में आदेश निर्गत किया जायगा ।

आदेश – आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिये इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार/लोक सेवा आयोग, अवर सेवा चयन पर्षद/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारियों/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो/बिहार विधान सभा एवं बिहार विधान परिषद सचिवालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये भेजी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

एन० के० अग्रवाल,

सरकार के सचिव ।

LIST OF CLASS-III AND CLASS-IV JOBS SUITABLE FOR THE HANDICAPPED

JOBS SUITABLE FOR THE PHYSICALLY HANDICAPPED.

Sl. No.	Category of Handicapped		Occupational Groups
I.	ORTHOPAEDICALLY HANDICAPPED		
	(A) Upper Extremeties		
	(i) Major Defects	....	Accounts Clerks (U), Copyholders (U), Office Clerks (U-A) Office Superintendents (U), Peons (U), Proof Readers (U), Receptionists (U) and other suitable jobs.
	(ii) Minor Defects	....	Caretakers (A), Chowkidars (A), Copyholders, Dak Messengers, Daftaries (A), Educational Assistants (A), Gardeners,

Farashs, Gestetner Operators, Key Punch Operators (A), Laboratory Assistants (Chemical), Laboratory Assistants (Clinical), Laboratory Attendants, Library Clerks (A), Liftmen (A), Meter Readers, Office Clerks (A), Office Superintendents, Peons, Photographic Retouchers, Proof Readers, Receptionists, Research Investigators, Retiring Room Attendants, Salesmen (Shop) (A), Scientific Assistants, Security Guards (A), Store Keepers (A) Statistical Assistants Sweepers, Teachers (Primary), Technical Assistants, Telephone Operators (A), Typists (A), Waiting Room Attendants, Ward Boys, Wireless Operators (A) and other suitable jobs.

(B) Lower Extremeties:

(i) Major Defects .... Accouts Clerks, Computors, Copyholders, Editorial Assistants, Hand Compositors (A) Key-Punch Operators, Liftman, Office Clerks, Office Superintendents, Painters, Projectionists (A-MNR), Proof Readers, Radio Technicians, Receptionists, Stenographers, Telex Operators, Translators, Typists and other suitable Jobs.

(ii) Minor Defects .... Architectural Assistants (A-MNR), Book Binders, Caretakers (A-MNR), Carpenters (A), Cashiers (A), Compounders, Chowkidars (A-MNR), Commercial Artists, Deftaries (MNR), Dressers, Draughtmen, Ferro Print Farashs, Gestetner Operator, Instrumentationists (Staff Artists) (MNR), Laboratory Assistants (Chemical), Laboratory Assistants (Clinical), Librarians

		(Junior) (A-MNR), Library Clerks (A-MNR), Musicians (Staff Artists (MNR), Packers, Peons (MNR), Photographers (MNR), Photographic Retouchers, Retiring Room Attendants (MNR), Selesmen (Shop) (MNR), Statistical Assistant Teachers (Primary), Technical Assistants (MNR), Sweepers (MNR), Teachers (Deaf), Timekeepers (A), Tracers, Vehicle Cleaners (MNR), Waiting Room Attendants (MNR), Wireless Operators and other suitable jobs.
II.	DEAF AND DEAF AND DUMB	Acounts Clerks, Book Binders, Canteen Boys, Carpenters, Computers, Commercial Artists, Daftaries, Ferro Printers, Gardeners, Gestetner Operators, Hand Compositors, Key-Punch Operators, Meter Readers, Office Clerks, Packers, Painters, Photographers, Photographic Retouchers, Statistical Assistants, Store-keepers, Sweepers, Telex Operators, Translators, Tracers, Typists, Vehicle Cleaners and other suitable jobs.
III.	DEAF :	
IV.	PARTIALLY DEAF.	Architectural Assistants, Caretakers (A), Cashiers, Compounders, Chowkidars (A), Dak Messengers, Draughtsmen (A), Dressers, Editorial Assistants, Electricians (A), Laboratory Assistants (Chemical), Laboratory Assistants (Clinical), Laboratory Attendants, Librarians (Junior) (A), Library Clerks (A), Peons, Projectionists (A), Research Investigators, Retiring Room Attendants, Scientific Assistants, Salesmen (Shop), Stenographers (A), Security Guards (A), Technical Assistants, Teachers (Deaf) (A), Teachers (Primary) (A), Time-keepers (A), Waiting Room Attendants, Ward Boys/ Ayas and other suitable jobs.

V.	BLIND	....	Announcer at Bus Stops (T), Cane Weavers (T), Instrumentationists (Staff Artists), Musician (T), Music Teachers (T), Office Superintendents (H), Packers (T), Stenographers (with) Dictaphone and Digital (Typewriters), Teachers (Primary T & A), Telephone Operators, Lathe Operators, Press Operators, Stampers, Weavers, Packers, Drillers, Filers, Chippers, Teachers in Social Sciences and other suitable jobs.
VI.	PARTIALLY BLIND	....	Dak Messengers, Despatch Clerks (T), Gardeners (T), Gestetner Operators (T&A) Liftmen (T and Digital Controls), Peons, Receptionists (T &A), Retiring Room Attendants, Sweepers, Watermen (T), Waiting Room Attendants and other suitable jobs.
	Explanations :	....	U=Unilateral, A=With Aids, T=With Training, H=With a Helper, MNR=Mobility not restricted.
	Note : (1)	....	Jobs which can be performed by those having major deformities can also be performed by those having minor deformities. Job which can be performed by deaf can be performed by partially deaf also. Jobs which can be performed by blind can be performed by partially blind also.
	Note : (2)	....	There would be a number of jobs in each occupations group. These have not been given separately. For Example, Office clerks include Lower Divison Clerks and Upper Division Clerks, Stenographers include Junior and Senior Division Stenographers.

पत्रांक-का० 11/आ० 1-202/86-330

बिहार सरकार,

मंत्रिमंडल सचिवालय ।

प्रेषक,

सतीश भटनागर,

आरक्षण आयुक्त-सह-प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना, दिनांक 31 मई, 1986 ।

विषय :- अनारक्षण का प्रस्ताव ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंग में मुझे कहना है कि विभिन्न विभागों से अनारक्षण का प्रस्ताव विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों यथा संयुक्त सचिव/अपर सचिव/विशेष सचिव से भेजे जाते हैं ।

इधर कुछ ऐसे दृष्टान्त आये हैं जहाँ कि अनारक्षण की समीक्षा के दौरान विभागीय सचिवों ने यह अभ्युक्ति दी है कि अनारक्षण संबंधी उनके विभाग के प्रस्ताव की जानकारी उन्हें नहीं है, कारण प्रस्ताव उनके माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित नहीं किया गया था ।

अनारक्षण एक महत्वपूर्ण एवं नीतिगत प्रश्न है, जिस पर मुख्यमंत्री का आदेश प्राप्त किया जाता है ।

अतः अनुरोध है कि अब से अनारक्षण संबंधी सभी प्रस्ताव में पूर्ववत विभागीय मंत्री के अनुमोदन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को विभागीय सचिव द्वारा ही पृष्ठांकित किये जाय, अन्यथा संचिका वापस करनी होगी और विलंब होगा ।

विश्वासभाजन,

ह०/- सतीश भटनागर

आरक्षण आयुक्त-सह-प्रधान सचिव ।

पत्र संख्या 11/ आ० 1-1011/83 का०-349

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री महेश प्रसाद,

सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलायुक्त/सभी जिला दंडाधिकारी ।

पटना - 15, दिनांक 19 जुलाई, 85

विषय : प्रत्येक कोटि के पदों के लिये अलग-अलग रोस्टर रखने के लिये प्रपत्र ।

महाशय,

निदेशानुसार इस विभाग के संकल्प संख्या 9909 दिनांक 13-11-1953, परिपत्र संख्या 469 दिनांक 12-1-71 द्वारा प्रत्येक कोटि के पदों के लिये एक चालू रोस्टर रखने की व्यवस्था की गई है तथा इसे कड़ाई से पालन करने का अनुदेश दिया गया है । इस विभाग के संकल्प संख्या 5305 दिनांक 10-4-1973 द्वारा एक प्रपत्र जारी किया गया है जिसमें रोस्टर रखना है ।

2. 1978 से राज्य स्तरीय सीधी नियुक्तियों में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग / अन्य पिछड़ा वर्ग / आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर वर्ग / महिला के लिये भी आरक्षण की व्यवस्था लागू है ।

3. रोस्टर पंजी संधारण में विभिन्न प्रशासी विभागों द्वारा, समय-समय पर जारी परिपत्रों / अनुदेशों का अनुपालन नहीं किया जाता है । अतः पूर्व के अनुदेशों को दुहारते हुए एक समेकित अनुदेश इसके साथ संलग्न है ।

4. अनुरोध है कि भविष्य में रोस्टर क्लीयरेन्स हेतु संचिका कार्मिक विभाग में भेजने के पूर्व रोस्टर पंजी को उक्त अनुदेशों के अनुसार संधारित कर ही भेजा जाय ।

5. कृपया इस पत्र की पावती स्वीकार की जाय ।

विश्वासभाजन,

ह०/-महेश प्रसाद

सरकार के विशेष सचिव ।

रोस्टर रखने के लिये सविस्तार अनुदेश

1. हरेक प्रकार की भर्त्ती के लिए दिये गये रोस्टर प्रपत्र में अलग रोस्टर पंजी (तीन प्रतियों में) रखा जाय ।

2. पदों की हरेक कोटि के अन्तर्गत अलग-अलग रोस्टर रखा जाय । एक, स्थायी और स्थायी होने वाली या अनिश्चित अवधि तक चलने वाली अस्थायी प्रोन्नतियों के लिए और दूसरा, नितान्त अस्थायी पदों के लिए ।

3. प्रोन्नति / नियुक्ति हो जाने के तुरंत बाद प्रोन्नत/नियुक्त व्यक्ति का विवरण रजिस्टर के उपर्युक्त स्तम्भों में प्रविष्ट किया जायेगा और प्रविष्टि के बाद नियुक्ति प्राधिकारी या इसके लिए प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मोहर होगा । परन्तु किसी भी हालत में उप सचिव या इसके समकक्ष पदाधिकारी से निम्नतर पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं होगा ।

4. रोस्टर पूरा करने में कोई खाली स्थान न छोड़ा जाय । उदाहरणार्थ, यदि 15 वें विन्दु पर किसी "आरक्षित" रिक्ति को आरक्षित उपयुक्त उम्मीदवार के अभाव में अनारक्षित मान लिया जाय, तो वस्तुतः नियुक्ति गैर आरक्षित उम्मीदवार को उस विन्दु के सामने दिखलाया जायेगा । उसी प्रकार किसी अनारक्षित विन्दु के सामने वर्ष में बाद में भर्त्ती किये गये किसी अनु० जाति/जन जाति के उम्मीदवार को ऐसे गैर अनारक्षित विन्दु के सामने ही दिखलाया जायेगा ।

5. रोस्टर एक चालू खाता के रूप में वर्ष- वर्ष का लेखा रखा जायगा । उदाहरणार्थ यदि किसी वर्ष क्रमिक भर्त्ती के छठे विन्दु पर भर्त्ती रुक जाय तो वह अगले वर्ष विन्दु 7 से शुरू होगी ।

6. रोस्टर के विन्दु सामान्य वर्ग के लिए अनुमान्य होने पर भी यदि पूर्व से पद अग्रनीत हो कर आये हों तो सामान्य रोस्टर विन्दु भी आरक्षित हो जाते हैं । आरक्षित विन्दु को अनारक्षित करने में मुख्य मंत्री का आदेश प्राप्त करना अनिवार्य होता है । उदाहरणार्थ रोस्टर का विन्दु-3 सामान्य वर्ग को अनुमान्य है किन्तु विन्दु-2 आरक्षित को । मुख्यमंत्री के आदेश से अनारक्षित कराने पर विन्दु 3 जो गैर आरक्षित को अनुमान्य है, वह आरक्षित हो जायेगा । अब कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या 716 दिनांक 15-12-82 के अधीन प्रदत्त शक्ति के अनुसार मुख्य मंत्री के आदेश से ही आरक्षित पद को अनारक्षित करने का प्रावधान है ।

7. सीधी नियुक्ति के मामले में अनु० जाति/जन जाति के लिए आरक्षण 1953 से तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग /आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग / महिलाओं के लिए आरक्षण 31-10-78 से लागू है । अतः रोस्टर पंजी में उक्त तिथि से ही प्रविष्टि की जायेगी ।

8. रोस्टर के प्रपत्र के कॉलम-2 में भर्त्ती का वर्ग लिखा जाना है जैसे 1980-81 आदि । भर्त्ती वर्ष का तात्पर्य है जिसमें भर्त्ती की गई हो । एक भर्त्ती वर्ष के दो-चार साल बाद भी दूसरी भर्त्ती की गई हो तो वह दूसरा भर्त्ती वर्ष माना जायेगा । कालम में नियुक्ति की तिथि अंकित की जायेगी, यथा 3-5-83 आदि ।

पत्र संख्या 11/आ० 1-202/85 का० 46

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री जगन्नाथ प्रसाद शर्मा,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 11 मार्च, 86

विषय : भूईयाँ जाति को अनु० जाति में घोषणा की सूचना ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक 430 दिनांक 24 जून, 1978 द्वारा यह निदेश दिया गया है कि भारत सरकार के राजपत्र असाधारण भाग-2 खण्ड-1 में प्रकाशित, नई दिल्ली सितम्बर, 20, 1978 के भाग-3 में भूईयाँ जाति को सम्पूर्ण बिहार राज्य में अनु० जाति की सूची में परिगणित किया गया है, परन्तु सरकार को ऐसी सूचना मिली है कि कुछ जिलों में इसके अनुसार कार्रवाई नहीं की जा रही है ।

अतः अनुरोध है कि उक्त पत्र के आलोक में समुचित जाँचोपरान्त भूईयाँ जाति को अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-जगन्नाथ प्रसाद शर्मा

सरकार के संयुक्त सचिव ।

No. 4/87/85- RU III

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES

AND SCHEDULED TRIBES

West Block 1, R.K. Puram

New Delhi - 110066

23 August, 1985

To,

(1) The Chief Secretary to the Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow

(2) The Chief Secretary to the Govt. of Bihar, Patna,

Subject : **Issue of Scheduled Caste/Scheduled Tribe certificates to persons belonging to Gond community.**

I am directed to say that cases have come to the notice of this office where persons from Uttar Pardesh and Bihar not belonging to the Gond community have managed to obtain Scheduled Caste/Scheduled Tribe certificates in an irregular manner. Gond is treated as a Scheduled Tribe in Madhya Pradesh and Bihar among the States adjoining Uttar Pradesh. There are a number of tribal Communities in the southern part of Mirzapur District of Uttar Pradesh which were somehow included in the list of the Scheduled Caste even though their kith and kin across the border in Palamau district of Bihar and Surguja District of Madhya Pradesh are treated Scheduled Tribes. However, the members of the Gond Community in southern part of Mirzapur District and the southern districts of Uttar Pradesh in Bundelkhand Divisioin have tribal characteristics, though in Uttar Pradesh this community is treated as a Scheduled caste. This community, however, is to be differentiated from a Hindu backward caste of eastern Uttar Pradesh and western Bihar the name of which is 'Gond' and whose members generally follow the occupation of Bhadbhooja. They have nothing in common with the Gond Scheduled Tribe of Bihar, Madhya Pradesh, etc., or the Gond Scheduled Caste of Uttar Pradesh.

This Office is of the view that whenever a person claims to belong to the gond Scheduled Tribe or the Gond Scheduled Caste, a thorough enquiry into the family

background of the individual may be held. The traditional occupation of the family is one of the indicators to determine its caste. Another important indicator is the language spoken by the family. Gondi, the language spoken by the Gond tribals is different from Hindi or its dialects like Bhojpuri and Avadhi. Gondi Language, in fact, belongs to the Dravidians family of languages. It is therefore, requested that sutiable instructions may be issued to all the District Magistrates and other competent authorities to thoroughly investigate each case and exercise proper care before issuing certificates to persons belonging to Gond community.

3. Action taken in the matter may kindly be intimated to this office at the earliest.

Yours faithfully

Sd/-C.B. Tripathi

Deputy Commissioner for SC & ST

No. 4/87/85- PU III

22 August 1985

Copy for information to

1. The Joint Secretary (SC & BCD), Shastri Bhawan , New Delhi-110001

2. The Joint Secretary (TD), Loknayak Bhawan, New Delhi-110003

3. The Director for SC & ST. B-1/15, Mahanagar Extension, Lucknow-226006

4. The Director, SC & ST., Road No. 3, New Pataliputra Colony ,. Patna-800013.

Sd/- C.B. Tripathi

Deputy Commissioner for SC & ST.

ज्ञापांक 450

पटना 15, दिनांक 1- अक्टूबर 1985

प्रतिलिपि - सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-यमुना प्रसाद समैयार

सरकार के अवर सचिव

पत्र संख्या 11/आ० 2-201/85 का-299

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री विजय शंकर दूबे,

सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमंडलायुक्त

सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 30 मई, 1985

विषय :- **आरक्षण संबंधी विषयों का निष्पादन ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग के संकल्प संख्या 716 दिनांक 15-12-82 की कंडिका 5 (घ) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये सूचित करना है कि कुछेक मामलों में प्रशासी विभाग ने आरक्षित पदों को निर्धारित प्रक्रिया से अनारक्षित कराये बिना ही उन पर गैर आरक्षित वर्ग के पदाधिकारियों को नियुक्त/प्रोन्नत कर दिया है । ऐसा करना संकल्प संख्या 716 दिनांक 15-12-82 द्वारा निर्गत निर्णयों के प्रतिकूल है ।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि इस बात को सुनिश्चित कराने की कृपा करें कि भविष्य में किसी भी आरक्षित पद पर अनारक्षित वर्ग के व्यक्ति को नियुक्त / प्रोन्नत नहीं किया जाय जब तक कि उस आरक्षित पद को निर्धारित प्रक्रिया से अनारक्षित नहीं करा लिया गया हो ।

विश्वासभाजन

ह०/-विजय शंकर दूबे

सरकार के सचिव ।

पत्र संख्या 11/आ० 1-101 / 84 का०-265

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री महेश प्रसाद, सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

श्री बाल गोविन्द राम, उप सचिव, कल्याण विभाग ।

पटना-15, दिनांक 24 अप्रील, 85

विषय : पिछड़ा वर्ग अनुसूची प्रथम तथा अनुसूची द्वितीय के स्थान पर अत्यन्त पिछड़ा वर्ग तथा पिछड़ा वर्ग के रूप में परिवर्त्तन ।

महाशय,

निदेशानुसार आपके पत्रांक 10258 दिनांक 10-12-84 के प्रसंग में मुझे सूचित करना है कि इस विभाग के संकल्प संख्या 756 दिनांक 10-11-78 के द्वारा अन्य पिछड़रा वर्ग की जातियों का वर्गीकरण अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के रूप में किया गया है । इसके पूर्व नियुक्ति विभाग के परिपत्र संख्या 7079 दिनांक 25-7-1951 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग का वर्गीकरण पिछड़ा वर्ग अनुसूची प्रथम तथा अनुसूची द्वितीय के रूप में किया गया था ।

अत: सरकार ने निर्णय लिया है कि जब भी कोई व्यक्ति अत्यन्त पिछड़ा वर्ग / पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति होने के नाते नियुक्ति में आरक्षण का लाभ लेने के उद्देश्य से जाति प्रमाण पत्र के लिये अनुरोध करें तो आवश्यक जाँचोपरान्त सक्षम प्राधिकार द्वारा जब उसे जाति प्रमाण-पत्र दिया जाय तो उसमें उसकी जाति का नाम का उल्लेख रहे और यह भी उल्लेख रहे कि वह जाति संकल्प 756 दिनांक 10-11-78 की सूची के "अत्यन्त पिछड़ा वर्ग" में शामिल है या "अन्य पिछड़ा वर्ग" में शामिल है । जाति प्रमाण-पत्र में एनेक्शचर I या एनेक्शचर II का उल्लेख नहीं रखना चाहिए ।

विश्वासभाजन

ह०/-महेश प्रसाद

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक 11/आ० 1-101 / 84 का०-265 पटना-15, दिनांक-24 अप्रैल, 85

प्रतिलिपि सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलायुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को अनुलग्नक की सूची के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-महेश प्रसाद

सरकार के विशेष सचिव ।

पत्र संख्या-11/वि० 1 -3013/84 का०-420

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री वि० वि० नाथन, आरक्षण आयुक्त-सह-प्रधान सचिव ।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव, पथ निर्माण विभाग

आयुक्त एवं सचिव, भवन निर्माण विभाग

आयुक्त एवं सचिव, लोक स्वा० अभि० विभाग

आयुक्त एवं सचिव, सिंचाई विभाग

आयुक्त एवं सचिव, ऊर्जा विभाग

आयुक्त एवं सचिव, विज्ञान एवं प्रा० विभाग ।

पटना-15, दिनांक 30 जुलाई, 84

विषय :- अभियन्ता प्रमुख / मुख्य अभियन्ता के अप्रा० सचिव के पदों का उन्मूलन ।

महोदय,

निदेशानुसार यह कहना है कि सामान्यतः सभी अभियन्ता प्रमुख / मुख्य अभियन्ता को अप्रा० सचिव का पद अनुमान्य है । यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन था कि अभि० प्रमुखों / मुख्य अभियन्ता के साथ अप्रा० सचिव रखने की वर्त्तमान प्रक्रिया को बरकरार रखा जाय या इसमें संशोधन की आवश्यकता है । समीक्षा करने के उपरान्त सरकार ने यह निर्णय लिया है कि कार्यों पर कारयर नियंत्रण हेतु राजपत्रित स्थापना का प्रभार अभि० प्रमुख करें एवं राज्य स्तर पर अराजपतित्र स्थापना का प्रभार वरीयतम मुख्य अभि० करें तथा इनके लिए ही अप्रा. सचिव का पद रखा जाए। इनके अलावे किसी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में जितने भी अप्रा० सचिव के पद उपलब्ध हों, तात्कालिक प्रभाव से उन्हें उन्मूलन कर दिया जाय ।

2. सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के संदर्भ में अनुरोध है कि इसका कार्यान्वयन तीव्र गति से की जाय तथा इस सम्बन्ध से की गई कार्रवाई से सरकार को अवगत कराया जाय ।

3. कृपया इसे उच्च प्राथमिकता प्रदान करें ।

विश्वासभाजन,

ह०/-वी० वी० नाथन

आरक्षण आयुक्त-सह-प्रधान सचिव

पत्रांक 11/ आ० 1-1012/83 525

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय

(का० एवं प्र० सु० वि० प्रशाखा-11)

प्रेषक,

श्री एस० एस० धनोआ, आयुक्त एवं प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव/सभी विभागाध्यक्ष

पटना-15, दि० 30.6.1983

विषय : **सरकारी सेवाओं में नियुक्ति एवं प्रोन्नति में आरक्षित श्रेणी के नागरिकों के लिये रिजरभेशण।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर राज्य सरकार द्वारा विस्तृत निदेश एवं निराकरण अनेक बार दिया गया है, फिर भी विभिन्न विभागों की संचिकाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकारी निदेशों की व्यापक जानकारी सरकारी कार्यालयों में नहीं है । अत: सरकारी निदेशों का निचोड़ आपके मार्गदर्शन हेतु दिया जाता है ।

2. राज्य सरकार का निर्णय है कि सीधी नियुक्ति एवं प्रोन्नति में राज्य सेवा के सभी वर्ग के पदों पर अनुसूचित जातियों के लिये 14 (चौदह) प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये 10 (दस) प्रतिशत पद सुरक्षित रहेंगे । केवल उक्त दो जातियों के लिये प्रोन्नति में आरक्षण 15-6-1971 से लागू है ।

3. दि० 31.10.78 से राज्य की सेवाओं की सभी श्रेणियों की प्रथम नियुक्ति में (क) अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिये 12 (बारह) प्रतिशत और (ख) अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये 8 (आठ) प्रतिशत (ग) गैर अनुसूचित जाति, गैर अनुसूचित जनजाति, गैर अन्य पिछड़ा वर्ग के आर्थिक दृष्टि से कमजोर नागरिकों के लिये 3 (तीन) प्रतिशत एवं (घ) महिलाओं के लिये 3 (तीन) प्रतिशत स्थान आरक्षित किया गया है ।

4. पिछड़ा वर्ग (ख) आर्थिक दृष्टि से कमजोर नागरिक (ग) और महिलाओं के लिये सरकारी सेवाओं में:-

4 (1) आरक्षण केवल सीधी नियुक्ति में लागू है । अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग और महिला के लिये आरक्षण प्रोन्नति में लागू नहीं है ।

4 (2) अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग और महिला वर्ग में आरक्षण की सुविधा केवल उन्हीं परिवारों को मिल सकती है जिनकी वार्षिक आय आयकर की छूट की सीमा से अधिक न हो ।

स्मरणीय है कि उपर्युक्त 4 (चार) वर्गों के लिए आर्थिक पिछड़ापन एक कॉमन यार्डस्टिक है ।

4 (3) आय प्रमाण पत्र देना जाति प्रमाण पत्र की तरह ही अनिवार्य है। दोनों प्रमाण पत्र जब नियुक्ति के प्रसंग में आवश्यक हों केवल डिस्ट्रीक्ट मेजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र ही मान्य है ।

4 (4) पिछड़े वर्गो तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सूची कार्मिक विभाग के ज्ञापांक 756 का०, दिनांक 10.11.78 में दिया गया है ।

4 (5) आरक्षण संबंधी सभी प्रक्रिया इन श्रेणियों के लिये वही है जो अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये लागू है । आरक्षण की व्यवस्था का कार्यान्वयन रोस्टर के अनुसार होगा जिसे क्लीयर करने के लिये कार्मिक विभाग ही सक्षम है ।

4 (6) इस प्रसंग में कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग का परिपत्र सं० 716 का दि० 15.12.82 की कंडिका 5 अत्यंत महत्वपूर्ण है । दृष्टव्य है कि विभिन्न श्रेणियों को आरक्षित वर्गों में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप रोस्टर क्रम में जो संशोधन किया गया है उसका साईक्लीक ऑर्डर जिसके अनुसार रिक्तियां भरी जायगी (संशोधित रोस्टर मोडेल) कार्मिक विभाग के परिपत्र सं० 292 का, दिनांक 2.6.79 में दी गयी है । तदनुसार रोस्टर बनवा कर कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग के परिपत्र सं० 716 का०, दि० 15.12.82 की कंडिका 5 (क) एवं (ख) के अनुसार कार्मिक विभाग से ही क्लीयर करवाना अत्यावश्यक है ।

4(7) द्रष्टव्य है कि उच्चम न्यायालय के न्यायादेशानुसार यदि किसी संवर्ग में प्रथम बार एक ही पद रिक्त हो, तो उसे असुरक्षित माना जायगा एवं दूसरी बार भी केवल एक ही पद रिक्त हो तो उसे सुरक्षित माना जायगा । यहां रोस्टर बिंदु से तात्पर्य पद नहीं है, बल्कि रिक्तियां हैं तथा प्रत्येक रिक्ति के साथ रोस्टर बिंदु आगे बढ़ता जाता है ।

4 (8) आरक्षण केवल सरकारी सेवाओं में नहीं बल्कि जिला पर्षद, नगरपालिका, अर्द्धसरकारी संस्थायें, विश्वविद्यालय एवं लोक उपक्रमों की सेवाओं में भी लागू है जैसा कि अनुसूचित जाति / जनजाति के लिये लागू है ।

5. कार्मिक विभाग के परिपत्र सं० 10132 का०, दि० 10.6.75 की कंडिका । में यह स्पष्ट किया गया है कि किस परिस्थिति में हरिजन के स्थान पर आदिवासी एवं आदिवासी के स्थान पर हरिजन की नियुक्ति की जा सकती है । उसी प्रकार कार्मिक विभाग के परिपत्र सं० 639. दि० 20.11.79 में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि महिलाओं के लिये आरक्षित पदों को उनके अभाव में यदि महिलाओं द्वारा नहीं भरा जा सकता तो ऐसे पदों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से भरा जाय एवं यदि वैसे उम्मीदवार भी उपलब्ध न हो तो पहले अत्यंत पिछड़ा वर्ग और उसके भी अभाव में पिछड़ा वर्ग से वैसे पदों को भरा जाय ।

6. सरकारी नीति आरक्षण की है इसमें अनारक्षण सन्निहित नहीं है । डि-रिजरभेशन एक अपवाद है जिसके लिये मंत्रिमंडल सचिवालय के आरक्षण आयुक्त के माध्यम से मुख्य मंत्री की अनुमति लेना अनिवार्य है ।

7. मंत्रिमंडल सचिवालय के परिपत्र सं० 464, दि० 8.6.83 द्वारा यह स्पष्ट आदेश दिया गया है कि आरक्षित पदों को भरने के लिये अलग से (विशेष) परीक्षा का आयोजन अवर सेवा चयन पर्षद द्वारा किया जायगा ताकि आरक्षित पद व्ययगत न हो जाय ।

8. द्रष्टव्य है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/ पिछड़ा वर्ग आदि के उम्मीदवारों को योग्यता के आधार पर चयन करने में कोई प्रतिबंध नहीं है । यदि वे निर्धारित प्रतिशत से अधिक संख्या में योग्यता के आधार पर आ जाते हैं तो उन्हें इस आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है कि उनकी संख्या निर्धारित आरक्षित कोटा सीमा से अधिक है । उसी प्रकार यदि आरक्षित जातियों को यदि 20 प्रतिशत, 14 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत जो आरक्षण निर्धारित है और योग्यता के आधार पर यदि आरक्षित जाति के 5 प्रतिशत उम्मीदवार चुने जाते हैं तो उन्हें आरक्षण कोटा मात्र 15 प्रतिशत, 9 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत ही शेष रह जायगा ।

9. आरक्षण संबंधी विषयों का निष्पादन का एक आत्मभरित निदेश कार्मिक विभाग के परिपत्र सं० 716 का०, दि० 15.12.82 में दिया गया है । उसकी कंडिका 5 महत्वपूर्ण है : रोस्टर का क्लियरेन्स कार्मिक विभाग द्वारा ही की जाती है ।

विभिन्न पदों पर प्रोन्नति के लिये न्यूनतम कालावधि कार्मिक विभाग के परिपत्र सं० 11601 का०, दिनांक 20.10.82 में स्पष्ट किया गया है । इस पत्र की कंडिका 4 महत्वपूर्ण है : द्रष्टव्य है कि कालावधि में छूट कार्मिक विभाग द्वारा मुख्य मंत्री की सहमति से दी जाती है ।

10. मंत्रिमंडल सचिवालय के ज्ञापांक 449, दि० 16.2.83 द्वारा मंत्रिमंडल सचिवालय में आरक्षण आयुक्त-सह-प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय का. पद सृजित किया गया है ।

अन्य शक्तियों के अलावे आरक्षण आयुक्त-सह-प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, यदि वर्ग 3 और 4 में अनियमित नियुक्तियाँ पाते हैं तो उन्हें वे रद्द कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध प्रतिवेदन वे भेज सकते हैं ।

इसके अलावे किसी नियुक्ति या प्रोन्नति में हो रहे अनियमितता या संभावित अनियमितता को रोकने के लिये आरक्षण आयुक्त-सह-प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय निषेधाज्ञा अर्थात इंजंक्शन या स्टे-ऑर्डर जारी कर सकते हैं ।

11. परिपत्र सं० 716, दि० 15.12.82 की कंडिका 5(ड.) में यह संशोधन किया गया है कि अनारक्षण के प्रस्ताव मुख्य सचिव के बदले आरक्षण आयुक्त-सह-प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय के माध्यम से मुख्य मंत्री को भेजा जायगा ।

केवल डि-रिजरभेशन संबंधी प्रस्ताव ही मंत्रिमंडल सचिवालय में भेजा जायगा ।

सामान्य रूप से आरिक्षत पद आरक्षित वर्ग के लिये 3 वर्षों तक अग्रणित तथा पुनः विज्ञापित आदि कर जीवित रखना है । इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय का परिपत्र सं० 464, दि० 8.6.83 एवं उसके अनुलग्नक महत्वपूर्ण है ।

12. जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है कि डि-रिजरभेशन एक अपवाद है । इसका प्रयोग बहुत कम होना चाहिए । फिर भी बहुत आवश्यक होने पर डि-रिजरभेशन का प्रस्ताव मंत्रिमंडल सचिवालय में आरक्षण आयुक्त-सह-प्रधान सचिव को भेजा जा सकता है । वैसे प्रस्ताव के साथ कार्मिक विभाग द्वारा क्लियर किये गये रोस्टर की एक प्रति भेजना अनिवार्य है । जब तक रोस्टर क्लियर नहीं कराया जाता है तब तक डि-रिजरभेशन के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता है ।

मंत्रिमंडल सचिवालय के ज्ञापांक 449, दि० 16.2.83 की अंतिम कंडिका में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि डि-रिजरभेशन करने का आदेश मुख्य मंत्री दे सकते हैं एवं उनके आदेश की प्रत्याशा में पद को डि-रिजर्भ नहीं किया जाना चाहिए ।

डि-रिजर्भ करने के प्रस्ताव की औपचारिकताओं को कार्मिक विभाग के परिपत्र सं० 716 का०, दिनांक 15.12.82 की कंडिका 5 में स्पष्ट कर दिया गया है ।

प्रस्ताव में विभाग को स्पष्ट रूप से प्रमाण पत्र देना होगा कि जिस पद को डि-रिजर्भ करना चाहते हैं उसमें आरक्षित श्रेणी की नियुक्ति के लिये विभाग का संकल्प सं० 3617, दि० 24.2.71, 21748 का०, दि० 6.12.72 एवं 10132, दि० 10.6.75 एवं परिपत्र सं० 10633 का०, दि० 22.5.76 के अनुसार पूरा प्रयास किया था परंतु फिर भी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हुये ।

जब प्रोन्नति हेतु किसी पद को डि-रिजर्भ करने का प्रस्ताव दिया जाय तो यह प्रमाणित करना होगा कि नियुक्ति स्रोत अर्थात मौलिक नियुक्ति में कार्मिक विभाग के उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसार कार्रवाई की गयी थी और यह प्रमाण पत्र देना होगा कि कार्मिक विभाग के परिपत्र सं० 11601 का०, दि० 20.10.82 की कंडिका 4 के अनुसार कार्रवाई करने पर भी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो रहे हैं ।

इसके अलावे प्रस्ताव के साथ वर्गवार अभिप्रमाणित वरीयता सूची भी भेजना अनिवार्य है ।

विश्वासभाजन,

ह०/-एस० एस० धनोआ

प्रधान सचिव-सह-आरक्षण आयुक्त

मंत्रिमंडल सचिवालय ।

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

दिनांक 15 दिसम्बर, 1982

विषय : आरक्षण संबंधी विषयों का निष्पादन ।

(1) आरक्षण के सम्बन्ध में 1953 से 1982 तक की अवधि में सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न परिपत्र निर्गत हुए हैं । उदाहरणस्वरूप नीतिमूलक महत्वपूर्ण कुछ संकल्प एवं परिपत्र का सारांश अनुलग्नित परिशिष्ट में वर्णित है ।

(2) परिपत्र संख्या 11519, दिनांक 10 जुलाई 1970 (अनुलग्नक का क्रमांक 3) में यह प्रावधान है कि सीधी भर्त्ती द्वारा सभी राजपत्रित पदों पर नियुक्ति में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त करने में पहले नियुक्ति विभाग (जो अब कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग है) की सहमति अपेक्षित है । इसी तरह आरक्षित पदों को अनारक्षित करने के पहले कार्मिक विभाग की सहमति आवश्यक है । बिहार लोक सेवा आयोग में जब किसी विभाग द्वारा मांग पत्र भेजा जाता है (राजपत्रित/ अराजपत्रित पद के लिए) तो मांग पत्र की जांच कार्मिक विभाग से कराना अनिवार्य रखा गया है (अनुलग्नक का क्रमांक 12) ।

(3) आरक्षण सम्बन्धी नीति के कारगर कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक विभाग में विभागीय मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय दिसम्बर 1980 में लिया गया है (अनुलग्नक का क्रमांक 23) ।

(4) सरकार के कार्यकलाप में वृद्धि होने के फलस्वरूप सभी विभागों से नियुक्तियां/प्रोन्नति में वृद्धि हुई है । अब प्रत्येक विभाग में विभागीय मंत्री की अध्यक्षता में आरक्षण नीति को कारगर ढंग से लागू करने के लिए समिति का गठन हो गया है तो पुनः विभिन्न विभागों द्वारा कार्मिक विभाग की राय लेने की बहुत आवश्यकता नहीं रह जाती है ।

(5) अतः मंत्रिपरिषद् के दिनांक 15 दिसंबर, 1982 के निर्णयानुसार सभी प्रासंगिक पूर्व आदेशों को संशोधित करते हुए आदेश दिया जाता है कि आरक्षण सम्बन्धी उन विषय, जिसमें कार्मिक विभाग की पूर्वानुमति/सहमति

की आवश्यकता रही है, उसे अब प्रशासी विभाग ही निष्पादित करेंगे मगर प्रत्येक विभाग निम्न प्रक्रिया का पालन करेंगे :—

(क) प्रत्येक विभाग अपने अधीन के सभी संवर्गों एवं सम्वर्ग बाह्य विभिन्न स्तरों के पदों के सम्बन्ध में अलग-अलग रोस्टर (तीन प्रतियों में) बनावें, जिसमें से एक प्रति कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में रखी जाय, दूसरी प्रति संबंधित विभाग के कार्यालय में, और तीसरी प्रति संबंधित नियुक्ति पदाधिकारी के परसनल कस्टडी में हो।

(ख) प्रत्येक स्तर पर अगले कलेन्डर इयर में होनेवाली संभावित रिक्तियों के सम्बन्ध में प्रभावी अनुदेशों के अनुसार रोस्टर अद्यतन कर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से क्लीयर करावें–

(ग) कार्मिक विभाग द्वारा क्लीयर किये गए रोस्टर के अनुसार ही संबंधित कलेन्डर वर्ष में रिक्तियों को भरने की कार्रवाई करें।

(घ) अगर कार्मिक विभाग द्वारा क्लीयर किये गये रोस्टर के अनुसार आरक्षित रिक्ति को अनारक्षित करने की विभाग आवश्यकता महसूस करे तो विभाग के सचिव संबंधित रिक्ति को अनारक्षित करने के प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त करें।

(ङ) मुख्य सचिव के समक्ष अनारक्षण का प्रस्ताव भेजते समय कार्मिक विभाग द्वारा क्लीयर किये गये रोस्टर की प्रति भी संचिका के साथ अवश्य भेजी जाय।

(च) प्रमंडलीय एवं जिला तथा जिला स्तर के नीचे के नियुक्ति पदाधिकारी विभिन्न स्तरीय अगले कलेन्डर वर्ष की रिक्तियों के सम्बन्ध में प्रभावी अनुदेशों के अनुसार अलग-अलग रोस्टर (तीन प्रतियों में) बनाकर क्रमशः प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिला पदाधिकारी के क्लीयर करायेंगे। उक्त तीन प्रतियों में से एक प्रति प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी के कार्यालय में रखी जाय, दूसरी प्रति संबंधित नियुक्ति पदाधिकारी के कार्यालय में और तीसरी प्रति संबंधित नियुक्ति पदाधिकारी की परसनल कस्टडी में (जिन पदों के नियुक्ति पदाधिकारी जिला पदाधिकारी होंगे उन पदों के सम्बन्ध में प्रमंडलीय आयुक्त रोस्टर क्लीयर करेंगे)।

उक्त प्रकार से क्लीयर किये गये रोस्टर के अनुसार ही रिक्तियों को भरने की कार्रवाई की जाय, अगर क्लीयर किये गये रोस्टर के अनुसार किसी आरक्षित रिक्ति को अनारक्षित करने की आवश्यकता नियुक्ति पदाधिकारी महसूस करें, तो प्रमंडलीय स्तर एवं जिलास्तर अथवा उसके निचे के स्तर के अनुसार क्रमशः प्रमंडलीय आयुक्त और जिला पदाधिकारी को अनारक्षण प्रस्ताव में अनुमोदन प्राप्त

करेंगे और उसकी सूचना अपने विभागीय उच्चतर पदाधिकारी को देने के बाद ही रिक्ति को अनारक्षित रूप से भरने की कार्रवाई करेंगे ।

आदेश :– आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, लोक सेवा आयोग एवं प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

दुर्गाशंकर मुखोपाध्याय

आयुक्त एवं सचिव,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

ज्ञापांक 11/आ०-1-1029/82-716-का०

पटना, 15 दिनांक 15 दिसम्बर, 1982

प्रतिलिपि, सरकार के प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष आयुक्त/जिला पदाधिकारी/महालेखाकार, बिहार, रांची/लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

दुर्गाशंकर मुखोपाध्याय

आयुक्त एवं सचिव,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

परिशिष्ट

CIRCULAR REGARDING RESERVATION

(1) Memo No. III/3L-6/50-A-9909, dated the 13th November 1953 (of Shri L. P. Singh Chief Secretary.)

"The appointing authority should ensure personally that the concessions allowed by these orders are made fully available to candidates of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Government will taek serious view of any failure to appoint candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes to the vacances reserved for them and for which they are suitable according to the criteria laid down by Government."

(2) Circular 17879, dated the 13th December 1966.

"राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि भविष्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित पदों पर अन्य उम्मीदवारों की नियुक्ति करने से पहले नियुक्ति प्राधिकारी सम्बद्ध विभागाध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके ही ऐसा करें।"

(3) Circular 11519, dated the 10th July 1970.

प्रश्नोत्तर के समय जो सामग्रियों और आंकड़े विभागों से प्राप्त हो सके हैं, उनसे भी इस बात की संपुष्टि होती है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सम्बन्धी सरकारी आदेशों की अनेक विभागों द्वारा खुलकर अवहेलना की जाती है।

वर्त्तमान स्थिति में सुधार लाने के ख्याल से सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सीधी भर्त्ती द्वारा सभी राजपत्रित पदों की नियुक्ति में मंत्रि परिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने के पहले नियुक्ति विभाग की सहमति अपेक्षित है जिससे नियुक्ति विभाग द्वारा पूरी जांच के बाद इस बात को संपुष्टि हो ले कि सम्बन्धित विभागों ने प्रस्ताव सामने रखा हे कि वह हर हालत में नियमानुकूल है और खासकर हरिजनों एवं आदिवासियों के उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने की प्रश्न पर सब पहलुओं से विचार कर लिया गया है।

"नियुक्ति विभाग द्वारा जांच करा लेने के बाद ही संलेख विभाग तैयार करें जिसमें यह लिखा रहे कि नियुक्ति विभाग की राय ले ली गयी है।

यदि संलेख में इस बात का जिक्र नहीं रहे कि संचिका नियुक्ति विभाग को दिखला दी गयी है, तो मंत्रिमंडल सचिवालय उस संचिका को पहले नियुक्ति विभाग को दिखला दें।"

(4) Circular 13283, dated the 6th August, 1970.

"ऐसा देखा जा रहा है कि यह कहकर कि सुरक्षित पदों के लिए पर्याप्त संख्या में हरिजन एवं आदिवासी उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, उन सुरक्षित पदों को भी गैर-हरिजन एवं गैर-आदिवासी उम्मीदवारों से भर दिया

जाता है । नियुक्ति पदाधिकारियों की इस प्रवृत्ति पर सरकार ने काफी असंतोष प्रकट किया है यह और निर्णय लिया है कि चूंकि सरकारी सेवाओं में श्रेणी 3 के पदों को भरने के लिए हरिजनों एवं आदिवासियों में योग्य उम्मीदवारों की कमी अब नहीं है , उनके लिए सुरक्षित पदों पर गैर-हरिजनों एवं आदिवासी उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं की जाय। अगर ऐसी परिस्थिति आवें कि काफी प्रयास के बाद भी कोई हरिजन या आदिवासी उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो पूर्ण विवरण के साथ स्थिति स्पष्ट करते हुए नियुक्ति विभाग के स्वीकृत लेकर ही गैर-हरिजन या गैर-आदिवासी उम्मीदवार की नियुक्ति की जाय ।''

(5) Circular 132833, dated the 6th August, 1970.

''नियुक्ति विभाग से स्वीकृति लेकर ही गैर-हरिजन या गैर-आदिवासी उम्मीदवार की नियुक्ति की जाय।''

(6) संकल्प 19867, dated the 21st November, 1970

अवक्रमण सम्बन्धी मामलों में नियुक्ति विभाग द्वारा मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जाय ।

(7) Circular 19867, dated the 21st November, 1970.

''जब हरिजनों एवं आदिवासी राजपत्रित पदाधिकारियों के अवक्रमण का प्रश्न हो तब नियुक्ति विभाग द्वारा मुख्यमंत्री का अनुमोदन पहले प्राप्त कर लिया जाय । उसके बाद ही अवक्रमण किया जाय । जहां तक के समें विभागीय मंत्री का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाय और तभी अवक्रमण किया जाय ।''

(8) संकल्प 4604, नि० dated the 15th March, 1971.

''जब प्रोन्नति द्वारा भरा जाने वाला कोई पद आरक्षित हो और उस पर प्रोन्नति होने के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति पदाधिकारी योग्य नहीं पाया जाय तो उस पद को अनारक्षित करने के पहले और उस पद परगैर-अनुसूचित जाति या गैर-अनुसूचित जन-जाति को प्रोन्नति कर नियुक्ति करने के पहले नियुक्ति विभाग की सहमति अवश्य ली जाय ।''

(9) 107, dated the 8th February, 1972.

''सभी राजपत्रित पदाधिकारी की नियुक्ति एवं प्रोन्नति के मामले में नियुक्ति विभाग की पूर्व सहमति निश्चित रूप से ले ली जाय । कई विभागों की संचिकाओं की जांच से पता चलता है कि इन जाति के लिए सेवा में प्रतिनिधित्व सम्बन्धी आदेशों का पालन नहीं किया जाता है ।''

(10) Circular 4611, Ni, dated the 11th March, 1972.

''सभी नियुक्ति पदाधिकारी अपने विभाग कार्यालय में प्रोन्नति से सम्बन्धित चालू रोस्टर लागू करेंगे ...... सरकार ने निर्णय किया है कि प्रोन्नति में आरक्षण सम्बन्धी आदेशों का उल्लंघन करने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाय।''

(11) Circular 12133, dated the 1st July, 1972.

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लोगों की भर्ती से सम्बन्धित स्थिति असंतोषप्रद चल रही है। .... जाहिर है कि अधिकांश नियुक्ति प्राधिकारी, इन समुदायों के लिए पदों के आरक्षण सम्बन्धी सरकारी अनुदेशों की अवहेलना करते हैं।"

...... जो पदाधिकारी ठीक समय पर और सही-सही विवरणियां उपस्थापित नहीं करेंगे, वे भी पूर्वोक्त दण्ड (निन्दन) के भागी होंगे।"

(12) Circular 15551-Ka, dated the 24th August, 1972.

...... ऐसा अनुभव हुआ कि कई विभागों में नियुक्ति रोस्टर नहीं रखा जाता है एवं मांग पत्र भेजते समय उन जातियों के लिए आरक्षित पदों के सम्बन्ध में जिक्र नहीं किया जाता है। इसलिए सरकार ने अब निर्णय लिया है कि जब कभी किसी विभाग द्वारा लोक सेवा आयोग के पास मांग पत्र भेजी जाय (चाहे वह राजपत्रित या अराजपत्रित पद के लिए हो) तो मांग पत्र की जांच कार्मिक विभाग से करा ली जाय।

(13) Circular 20443-Ka, dated the 13th November, 1972.

"कार्मिक विभाग को प्राप्त कई संचिकाओं को देखने से पता चलता है कि अधिकांश विभागों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षण सम्बन्धी आदेशों की अवहेलना की गयी है जो सर्वथा अनुचित है। .... अतः सभी राजपत्रित पदाधिकारी का नियुक्ति एवं प्रोन्नति के मामले में नियुक्ति विभाग की पूर्व सहमति अपेक्षित है।"

No. 36012/378-Estt (SCT)

Government of India/ Bharat Sarkar

Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya

Department of Personnel and Administrative Reforms

(Karmik Aur Prashasanik Sudhar Vibhag)

New Delhi-110001, dated the 9 Feb., 82

Office Memorandum

Sub. — **Reservation for SC/ST in services–Stipulation of 50% limit for fresh and carry forward reservations with reference to the total Vacancies in recruitment year.**

The undersigned is directed to refer to the Department of Personnel & A.R. Office Memorandum No 16/3/73-Estt (SCT) dated 27-12-1977 in which it has been stated that the carried forward reserved vacancies would be available together with the current reserved vacancies for utilisation even where the total number of such reserved vacancies exceed 50% of the Vacancies filled in that year provided that the overall representation of SC and St in the total strength of the concerned grade or cadre is found to be inadequate i.e, the total number of Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates in that grade has not reached the prescribed percentages of reservation for SC/ST respectively in the grade, as a whole.

2. The validity of this Office Memorandum has been reconsidered in the light of the judgement delivered by the Supreme Court on 14-11-1980 in Writ Petition No. 1041-1044 of 1977 (Akhil Bharatiya Soshit Karmachari Sangh Vs. Union of India). In this case, all the three judges constituting the division Bench have remarked that the total reservation on a particular occasion should not exceed 50% of the total vacancies. It has now been decided

in modification to the instructions contained in the Office Memorandum dated 27-12-1977 that, in future, fresh reservation along with carry forward reservation should not exceed 50% of the total vacancies available on a particular occasion.

3. It may happen that due to this 50% limit, it will not be possible to accommodate all the reservations which have accumulated due to the carry forward principle, Hence the surplus above 50% shall be carried forward to the subsequent year of recruitment, subject, however, to the condition that they do not become three recruitment years old 'which is the maximum period of carrying forward the reservations from year to year and lapse. Hence, to save the lapsing of the reservations, it will be proper to accommodated the oldest carry forward reservations first.

For example there are 5 carried forward reservations spreading over three preceding recruitment years in the following manner :—

	SC	ST
Third year	1	–
Second Year	1	1
First Year	–	2

Suppose 6 Vacancies occur in the succeeding year, 3 should be reserved, taking into consideration the 50% limit. As the oldest carried forward reservations have to be accommodated first, one SC of third year and one SC and one ST of second year are to be reserved out of the 6 Vacancies available. The two S.T. reservations of first year will be carried forward to next recruitment year and they will be considered as in the second year of carry forward in the next recruitment year.

4. This order , however, will not effect this Department's Office Memorandum No. 1/9/74-Estt (SCT) dated 29-4-1975, which governs the procedure regarding filling up of single vacancy, occurring in a recruitment year. Ministries/Departments should make the necessary modifications in the dereservation proposals while sending them to the Department of Personnel & A.R. and the Commission's for SC/ST. It is further clarified

that no. dereservation will be necessary for further carrying forward reservations which could not be accommodated in any recruitment year due to the 50% limit.

5. The above instructions take effect from the date of the issue of these orders except where selections to posts to be filled by direct recruitment or promotion have already been finalised prior to the issue of these orders.

6. Ministry of Finance etc. are requested to bring the above instructions to the notice of all attached and subordinate offices under them for compliance.

Sd/-Bata K. Dey

Deputy Secretary to Govt. of India.

Copy to —

1. All Ministries & Departments etc.
2. All Offices, Sections and attached and subordinate offices of the MHA and DP & AR
3. B. P. E.

Sd/- Bata K. Dey

Deputy Secretary to Govt. of India.

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

11/आ-114/32 (अंश) (1) का० 7209 पटना-15, दिनांक 6/12/82

प्रतिलिपि, सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/जिलाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/-ब्रह्मदेव राम

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्र सं० 11/आ० 1-102/82 का०-42

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री के० बी० सक्सेना,

आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव ।

पटना-15, दिनांक 2-2-82

विषय : - **विभिन्न पिछड़े वर्गों को नौकरियों में प्रदत्त आरक्षण के लाभ हेतु दाखिल किये जाने वाले जाति प्रमाण-पत्र तथा वार्षिक आय प्रमाण-पत्र की मान्यता के बारे में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर मुझे कहना है कि आये दिन इस तरह के दृष्टांत मिलते रहे हैं कि विभिन्न 4 श्रेणी के पिछड़े वर्गों को नौकरियां में प्रदत्त आरक्षण के लाभ हेतु उनके द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार से जाति प्रमाण-पत्र तथा वार्षिक आय प्रमाण-पत्र दाखिल किये जाते हैं । ऐसी भी सूचना मिली है कि इन वर्गों द्वारा जाति तथा आय के संबंध में दाखिल एफिडेविट को भी प्रमाण-पत्र की मान्यता कतिपय विभागों / एजेंसियों द्वारा दी गई है । जैसा ज्ञात है, पिछड़े वर्ग तथा अत्यन्त पिछड़े वर्ग को प्रदत्त आरक्षण का लाभ उन्हीं व्यक्तियों को देय है, जो पिछड़े वर्ग तथा अत्यन्त पिछड़े वर्ग की सूची में अधिसूचित जाति के सदस्य हैं तथा उनके परिवार की वार्षिक आय आयकर की छूट की अधिसीमा से ऊपर नहीं है । उसी प्रकार महिलाओं तथा गैर अनु० जाति, गैर अनु० जन-जाति तथा गैर पिछड़े वर्ग के आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों को प्रदत्त आरक्षण के लाभ केवल उन्हीं व्यक्तियों को अनुमान्य है, जिनके परिवार की वार्षिक आय आयकर की छूट की अधिसीमा के ऊपर नहीं है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उक्त 4 श्रेणी के पिछड़े वर्गों को प्रदत्त आरक्षण की सुविधा प्राप्त होने में अन्य शर्तों के अलावे सबसे महत्पूर्ण तथा एक प्रकार से सर्वोपरि over-riding शर्त्त के रूप में निर्धारित सीमा के भीतर उनके परिवार की वार्षिक आय का होना है । अनु० जाति तथा जन-जाति के प्रदत्त आरक्षण के लाभ प्राप्त करने के लिए जाति प्रमाण-पत्र का जो महत्व है, वही महत्व उपर्युक्त 4 श्रेणियों के पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए उनके परिवार के वार्षिक आय संबंधी प्रमाण-पत्र का है ।

2- अनु० जाति, जन-जाति के लिए प्रदत्त आरक्षण के लाभ हेतु उनको जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने बारे में कार्मिक विभाग (उस समय नियुक्ति विभाग) के परिपत्र संख्या 3284 दिनांक 19 मार्च 1958 द्वारा पदाधिकारी प्राधिकृत किए गए हैं । उक्त परिपत्र के अनुसार नियुक्ति के पूर्व के स्टेजेज में यथा आवेदन देने आदि के समय अनु० जाति, जन-जाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु जिला दंडाधिकारी के अलावे अनुमंडल पदाधिकारी, परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी, सहायक परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, सर्किल ऑफिसर तथा प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी प्राधिकृत हैं । इसके अतिरिक्त कार्मिक विभाग के परिपत्र 5163 दिनांक 20-5-1972 के अनुसार नियुक्ति के पूर्व के स्टेज के लिए जाति प्रमाण-पत्र निर्गत हेतु जिला कल्याण पदाधिकारी तथा अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी भी प्राधिकृत हैं । परन्तु नौकरियों में नियुक्ति के लिए जिला दंडाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य है । नियुक्ति के लिए जिला दंडाधिकारी के अलावे उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र की मान्यता तभी देनी है यदि वे प्रमाण-पत्र जिला दंडाधिकारी द्वारा सत्यापित तथा प्रतिहस्ताक्षरित (Verified & Countersigned) किये जा चुके हों ।

3. जैसा ऊपर में अंकित है, आरक्षण के लाभ हेतु पिछड़े वर्गों द्वारा दाखिल किये जाने वाले जाति तथा आय प्रमाण-पत्र की वैसे ही अपरिहार्यता है जो अनु० जाति, जन-जाति के लिए प्रदत्त आरक्षण के लिए उनके लिए जाति प्रमाण-पत्र की है । पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण से संबंधित संकल्प सं० 756 दिनांक 9-11-78 की कंडिका 7 में यह उपबंधित है कि इसके लिए भी वे ही प्रक्रियायें अपनाई गई हैं । जाति तथा आय संबंधी प्रमाण-पत्र में एकरूपता बनाये रखना भी उतना ही आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है । उपरोक्त तथ्यों के आलोक में इस संबंध में निर्गत कार्मिक विभाग के परिपत्र सं० 11/आ 01-1035/78-100 का० दिनांक 22-2-1979 को विलोपित करते हुए भली-भाँति विचार कर सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पिछड़े वर्गों के लिए प्रदत्त आरक्षण के लाभ हेतु उनको आवेदन आदि देने के स्टेज पर जाति प्रमाण-पत्र तथा वार्षिक आय प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिए जिला दंडाधिकारी के अलावे अनुमंडल पदाधिकारी, परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी, सहायक परियोजना कार्यपालक पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी तथा प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी तथा अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी प्राधिकृत रहेंगे । उनके द्वारा निर्गत जाति एवं वार्षिक आय प्रमाण-पत्र मान्य होंगे । जिला दंडाधिकारी के अतिरिक्त उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा निर्गत जाति तथा वार्षिक आय प्रमाण-पत्र नियुक्ति के लिए मान्य नहीं होंगे जब तक कि ये प्रमाण-पत्र जिला दंडाधिकारी द्वारा सत्यापित एवं प्रतिहस्ताक्षरित (Verified & Countersigned) नहीं होंगे ।

विश्वासभाजन,

ह०/-के० बी० सक्सेना

आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापाक सं० 11/आ 01-102/82 का०-42 पटना-15, दिनांक 2-2-82,

प्रतिलिपि, अध्यक्ष लोक सेवा आयोग/अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो / अध्यक्ष, अवर सेवा चयन पर्षद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । आयोग / लोक उद्यम ब्यूरो तथा अवर सेवा चयन पर्षद नियुक्ति के लिए अपनी अंतिम अनुशंसा आरक्षित वर्गों के जिला दंडाधिकारी द्वारा स्वयं निर्गत या सत्यापित जाति तथा आय प्रमाण-पत्र पेश करने के पश्चात ही कृपया भेजेंगे ।

ह०/-के० बी० सक्सेना

आयुक्त एवं सचिव

ज्ञापाक सं० 11/आ 01-102/82 का०-42 पटना-15, दिनांक 2-2-82

प्रतिलिपि, सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी समाहर्त्ता/सभी अनुमंडल पदाधिकारी / सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / सभी अंचल पदाधिकारी को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित ।

ह०/-के० बी० सक्सेना

आयुक्त एवं सचिव ।

पत्र संख्या-11/आ 2-101/79-656

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री ब्रह्मदेव राम, सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना, दिनांक 13 दिसम्बर, 80 ।

विषय :- आरक्षण के संबंध में निर्गत परिपत्र एवं संकल्प पर उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश उठा लेने (Vacate) के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक मुझे कहना है कि रिट याचिका संख्या 992/79-सुशील कुमार सिन्हा तथा अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले के क्रम में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या 20165 दिनांक 8 नवम्बर, 1975 तथा संकल्प संख्या 288 दिनांक 16 मई, 1978 पर उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 22-10-79 द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया था । परिपत्र संख्या 20165 दिनांक 8-11-1975 में सीधी भर्त्ती एवं प्रोन्नति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लिए आरक्षण संबंधी आदर्श रोस्टर की व्यवस्था है तथा संकल्प संख्या 288 दिनांक 16-5-1978 में प्रोन्नति हेतु निर्धारित न्युनतम कालावधि में उक्त वर्गों को एक वर्ष की छूट देने का उपबंध है । इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के स्थगन आदेश के अनुपालन के लिये इस विभाग का परिपत्र संख्या 657 दिनांक 26 नवम्बर, 1979 निर्गत किया गया था ।

2- वर्णित संकल्प एवं परिपत्र पर लगाया गया उक्त स्थगन आदेश उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 8-10-1980 द्वारा निम्नलिखित शर्त्तों के साथ उठा लिया गया है:-

(क) रिट याचिका के लंबित रहने की अवधि में जितनी प्रोन्नतियां दी जायेगी, रिट याचिका पर अंतिम फैसले के अनुसार उनमें परिवर्त्तन करना अपेक्षित होगा ।

(ख) उच्चतम न्यायालय के स्थगन आदेश के फलस्वरूप स्थगन अवधि (जो दिनांक 22-10-79 से दिनांक 8-10-1980 तक है) में जितनी प्रोन्नतियाँ दी गयी हैं, उन पर स्थगन आदेश हटाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

2.1. सुलभ प्रसंग हेंतु स्थगन उठाने संबंधी उच्चतम न्यायालय के आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है ।

3- आपसे अनुरोध है कि इकसी सूचना कृपया अपने अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों को देते हुए उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-ब्रह्मदेव राम

सरकार के संयुक्त सचिव ।

D. NO. 3759/80/SEC.X

SUPREME COURT OF INDIA

DATED NEW DELHI THE 18th OCTOBER, 1980.

From,

The Registrar (Jdl.)

Supreme Court of India,

New Delhi.

1. State of Bihar through the Chief Secretary to the Government of Bihar, Old Secretariat, Patna.
2. Principal Secretary to the Government of Bihar, Department of Personnel and Administrative Reforms, Old Secretariat, Patna.
3. Financial Commissioner and Principal Secretary to the Government of Bihar, Finance Department, Old Secretariat, Patna.
4. Commissioner of Commercial Taxes-cum-Special Secretary to Government of Bihar, Finance (Commercial Taxes) Department, New Secretariat, Patna.

CIVIL MISC. PETITION NO. 7264 (W) of 1980.

(Application for stay of vacation)

IN

WRIT PETITION NO. 992 OF 1979.

(Under Article 32 of the Constitution)

Shri Sushil Kumar Sinha & Ors. etc. .... Patitioners

Vrs.

State of Bihar & Ors............................... Respondents.

Sir,

I am directed to forward herewith for information and necessary action a certified copy of the order of this Court dated the 8th October, 1980 made in the petition above mentioned.

Please acknowledge receipt.

Yours faithfully

Sd/- Illigible

for REGISTRAR

IN THE SUPREME COURT OF INDIA

CIVIL APPELLATE JURISDICTION

CIVIL MISCELLANEOUS PETITION NO. 7264 (W) OF 1980

(Application for Vacating stay)

. IN

WRIT PETITION NO. 992 OF 1979

(Under Article 32 of the Constitution for the enforcement of fundamental rights)

Sri Sushil Kumar Sinha, Joint Commissioner of Commercial Taxes, Patna Division, Patna (4) and 66 ors (As per Schedule 'A' attached with the order dated 22nd October, 1979 in CMP No. 1339 (W) of 1979.

.... Petitioners

VERSUS

The State of Bihar through the Chief Secretary to the Government of Bihar, Old Secretariat, Patna and 101 Ors (As per Schedule attached with Court's order dated 22nd October, 1979 in C.M.P. No. 1339 (W) of 1979.

.... Respondents

Dated : 8th October, 1980.

CO RAM :

THE HON'BLE MR. JUSTICE R.S. SARKARIA

THE HON'BLE MR. JUSTICE O. CHINAPPA REDDY

For the applicants/Respondents	:	Mr. R.K. Garg, Senior Advocate (M/s R.K. Jain and R.P. Singh Advocates with him)
For the Petitioners	:	Mr. Shanti Bhushan, Senior Advocate (Mr. S.N. Jha, Advocate with him).
For the State	:	M/s K.G. Bhagat and D. Gobardhan, Advocates.

The application for vacating stay above-mentioned being called on for hearing before this court on the 8th day of October, 1980. UPON hearing Counsel for the parties THIS COURT while vacating the exparte stay granted by this court's order dated 22 nd October, 1979 in C.M.P. No. 1339 (W) of 1979 DOTH ORDER THAT all promotions made during the pendency of the Writ Petition will be subject to the result of the Writ Petition but promotions made as a consequence of the Stay being in operation till this the 8th day of October, 1980 will not be disturbed by the vacation of Stay Order.

AND THIS COURT DOTH FURTHER ORDER THAT this ORDER be punctually observed and carried into execution by all concerned;

WITNESS THE Hon'ble Shri Yashwant Vishnu Chandrachud, Chief Justice of India at the Supreme Court, New Delhi dated this the 8th day of October, 1980.

DEPUTY REGISTRAR.

संख्या-11/वि 2-1010/79 का०-66

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री के० ए० रामसुब्रह्मण्यम

सरकार के मुख्य सचिव,

बिहार, पटना ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव

सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलायुक्त/सभी जिलाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 30 जनवरी, 1979 ।

विषय : अनुसूचित जाति एवं अनुसूचति जन जाति के लिए सरकारी सेवा में आरक्षण संबंधी आदेशों के अनुपालन के लिए सम्पर्क पदाधिकारी की नियुक्ति ।

महोदय,

सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक विभाग में कम से कम एक उप सचिव की श्रेणी के पदाधिकारी को उस विभाग के नियंत्राधीन संस्थानों और सेवाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी मामलों के लिये सम्पर्क पदाधिकारी के रूप में मनोनीत किया जाय । यह सुनिश्चित करना सम्पर्क पदाधिकारी की विशेष जिम्मेवारी होगी कि विभाग के अधीन सभी नियुक्ति पदाधिकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण से संबंधित आदेशों का दृढ़ता से पालन करें वे यह भी सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित विभिन्न नियतकालिक विवरणियाँ यथासमय भेज दी जाएं । सम्पर्क पदाधिकारी के रूप में एक उपयुक्त पदाधिकारी का चयन करना तथा यह देखना कि वे प्रभावशाली ढंग से काम करते हैं, प्रत्येक प्रधान सचिव/सचिव की जिम्मेवारी होगी ।

सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि हर एक जिला में पदस्थापित जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला स्तर के सभी कार्यालयों में की गयी नियुक्तियों/प्रोन्नतियों की सूचनाएं एकत्रित कर कल्याण विभाग को नियतकालीन विवरणियों के साथ भेज देंगे । उन नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों द्वारा भरे गये पदों की संख्या

अवश्य रहनी चाहिए । कार्मिक विभाग के अतिरिक्त कल्याण विभाग भी इस बात की देख रेख तथा मूल्यांकण करेगा कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व देने से संबंधित आदेशों तथा अनुदेशों का सभी नियुक्ति पदाधिकारियों द्वारा ठीक ढंग से पालन किया जा रहा है या नहीं ।

राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी कार्यालयों के संबंध में एक त्रै-मासिक समीक्षा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में की जायगी और अगर इस समीक्षा के दौरान ऐसे मामले प्रकाश में आए जिनमें नियतकालिक विवरणियाँ समयानुसार नहीं भेजी जाती हैं और सरकारी आदेशों तथा अनुदेशों के विपरीत नियुक्तियाँ की जाती हैं तो उत्तरदायित्व निर्धारित कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई तथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी ।

आरक्षण संबंधी नियमों का पालन नहीं करने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध कड़ा दंड देने के लिये सरकार शीघ्र एक विधेयक को कानून का रुप देने जा रही है ।

प्रत्येक विभाग से अनुरोध है कि वे अपने विभाग के एक उप सचिव की श्रेणी के पदाधिकारी को सुनिश्चित कर इसकी सूचना कार्मिक विभाग तथा कल्याण विभाग को सूचित कर दें । साथ ही इस पदाधिकारी का नाम विधान सभा के अनुसूचित जाति/जन जाति कल्याण समिति को भी भेज दें । साथ ही अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में भी एक पदाधिकारी को इस कार्य के लिये विशिष्ट रूप से उत्तरदायी बनायें ताकि वे इस प्रकार की सूचना संग्रह कर संबंधित विभाग में भेजें । उन्हें यह भी आदेश दिया जाये कि जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा मांगी गयी सूचना यथासमय उन्हें उपलब्ध कराते हैं ।

कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दें ।

विश्वासभाजन,

ह०/-के० ए० रामसुब्रह्मण्यम

सरकार के मुख्य सचिव, बिहार ।

ज्ञाप संख्या-11/वि 2-1010/79 का० 66 पटना-15, दिनांक 30 जनवरी, 1979

प्रतिलिपि - सभी संबंधित कार्यालय को प्रेषित ।

ह०/-ईश्वरी प्रसाद

सरकार के प्रधान सचिव ।

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

विषय : राज्य सेवाओं में विभिन्न पदों पर प्रोन्नति के लिए न्यूनतम कालावधि निर्धारण करने के सम्बन्ध में पुनरीक्षित संशोधन आदेश ।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-11601, दिनांक 20 अक्टूबर, 1982 (प्रतिलिपि संलग्न) की कंडिका-4 की उप-कंडिका-(क) एवं (ख) के सम्बन्ध में कतिपय विभागों द्वारा यह जिज्ञासा की गई है कि यदि रिक्तियों के बराबर या उससे अधिक संख्या में कालावधि प्राप्त तथा अन्य भांति योग्य अनारक्षित वर्गों के पदाधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध हों तो क्या वैसी परिस्थिति में आरक्षित रिक्तियों को बिना अनारक्षित कराये, उन्हें अनारक्षित वर्ग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों से भरा जा सकेगा अथवा नहीं ?

विभिन्न विभागों द्वारा की गई उपर्युक्त जिज्ञासा की जांच कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में गहराई से की गई । इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि यद्यपि उपर्युक्त संकल्प में यह स्पष्टरूप से उल्लिखित नहीं है कि आरक्षित रिक्तियों पर आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों को ही प्रोन्नति करने पर विचार कर किया जाना है तथा आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध गैर-आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों को प्रोन्नत नहीं किया जाना है, पर सरकार की हमेशा यह स्पष्ट मंशा रही है कि आरक्षित पदों पर, ''यथासंभव'' आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों को ही प्रोन्नति दी जाय ।

2. अतः संकल्प संख्या-11601, दिनांक 20 अक्टूबर, 1982 की कंडिका-4 की उप-कंडिका-4 (क) एवं 4 (ख) के नीचे क्रमशः निम्नांकित ''परन्तुक'' को मंत्रिपरिषद के दिनांक 9 अप्रील, 1985 के निर्णयानुसार प्रविष्टि समझा जाय :-

उप-कंडिका-4 (क) के नीचे – ''परन्तुक, प्रथम समव्यवहार (फर्स्ट ट्रान्जेकशन) में कालावधि प्राप्त गैर-आरक्षित व्यक्तियों को प्रोन्नति उन्हीं रिक्तियों पर दी जायगी, जो रिक्तियां कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा अनुमोदित रोस्टर के अनुसार गैर-आरक्षित वर्गों को अनुमान्य होगी । किसी भी हालत में गैर-आरक्षित वर्ग के कालावधि प्राप्त व्यक्तियों को आरक्षित वर्ग के लिए अनुमान्य रिक्ति के विरुद्ध प्रोन्नति नहीं दी जायगी, भले ही प्रथम समव्यवहार (फर्स्ट ट्रान्जेकशन) में कालावधि प्राप्त आरक्षित वर्ग का व्यक्ति अनुपलब्ध हो ।''

उप-कंडिका-4 (ख) के नीचे :- ''परन्तुक, द्वितीय समव्यवहार (सेकेण्ड ट्रान्जेक्शन) में प्रथम समव्यवहार से बची हुई आरक्षित रिक्तियों पर प्रोन्नति देने के लिए मात्र आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों के सम्बन्ध में ही विचार किया जायगा ।''

3. जब प्रथम तथा द्वितीय दोनों समव्यवहारों के बाद भी आरक्षित पद बच जाता हो, तब निर्धारित प्रक्रिया से आरक्षित पदों को पहले अनारक्षित कराने के बाद ही उस पर गैर-आरक्षित वर्ग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोन्नति देने पर विचार किया जा सकेगा ।

आदेश – आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार/बिहार लोक सेवा आयोग एवं प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष/आयुक्त एवं सचिव/प्रमंडलायुक्त एवं जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

विजय शंकर दुबे,

आयुक्त एवं सचिव

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

ज्ञापांक 11/आ-1-102/84-का०-253 पटना-15, दिनांक 18 अप्रील, 1985 ।

प्रतिलिपि, महालेखाकार, बिहार/बिहार लोक सेवा आयोग/सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित :

विजय शंकर दुबे,

आयुक्त एवं सचिव,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

संकल्प

विषय – राज्य सेवाओं में विभिन्न पदों पर प्रोन्नति के लिए निर्धारित न्यूनतम कालावधि सम्बन्धी परिपत्रों में अल्प संशोधन ।

1. मंत्रिपरिषद् के दिनांक 19 फरवरी, 1985 के निर्णयानुसार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 11601–का०, दिनांक 20 अक्टूबर, 1982 की कंडिका–4 की उप–कंडिका (ग) के क्रम में निम्नांकित आदेश दिया जाता है–

उप–कंडिका (ग) के अन्तर्गत न्यूनतम कालावधि में छूट हेतु जो प्रस्ताव प्रशासी विभाग से प्राप्त होगा उस पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में मुख्यमंत्री का आदेश प्रस्ताव की प्राप्ति के 45 दिनों के अन्दर अवश्य प्राप्त कर लिया जायेगा अन्यथा संबंधित प्रशासी विभाग अपने प्रस्ताव में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अनापत्ति मानते हुए प्रोन्नति के मामलों में अग्रतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत होगा, परन्तु अधूरे, अस्पष्ट अथवा अपरिपक्व प्रस्तावों को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा प्रशासी विभाग को वापस लौटाया जा सकेगा, और उस परिस्थिति में, उक्त प्रसंगाधीन 45 दिनों की अवधि की गणना उसी तिथि से की जायेगी, जिस तिथि को प्रशासी विभाग द्वारा पूर्ण प्रस्ताव कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में प्राप्त हुआ होगा ।

2. उपर्युक्त कंडिका (1) के अन्तर्गत निहित प्रावधानों की पृष्ठभूमि में मंत्रिमंडल/विभागीय मंत्री/विभागीय प्रवरण समिति के समक्ष उपस्थापित किये जाने वाले सभी प्रस्तावों में प्रशासी विभाग द्वारा इस बात का स्पष्ट उल्लेख कर दिया जायेगा कि निर्धारित अवधि में विभाग द्वारा दिये गये प्रस्तावों को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग निसृत नहीं कर सका है और तदनुसार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अनापत्ति मानते हुये संबंधित प्रस्तावों को सक्षम निकाय के अनुमोदनार्थ उपस्थापित किया जा रहा है । साथ ही साथ, इसकी सूचना संबंधित विभाग द्वारा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को भी दी जायेगी ।

आदेश – आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय और

इसकी प्रति महालेखाकार, लोक सेवा आयोग एवं प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

विजय शंकर दुबे,

आयुक्त एवं सचिव

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

ज्ञापांक-11/आ-1-1012/84-2746

पटना-15, दिनांक 20 फरवरी, 1985

प्रतिलिपि – सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/महालेखाकार, बिहार, बिस्कोमान भवन; पटना/महालेखाकार, बिहार, पोस्ट-हीनू, रांची/बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

विजय शंकर दुबे,

आयुक्त एवं सचिव

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

संकल्प

20 अक्टूबर, 1982 ।

विषय – राज्य सेवाओं में विभिन्न पदों पर प्रोन्नति के लिए न्यूनतम कालावधि निर्धारण करने के सम्बन्ध में परिपत्रों में संशोधन ।

1. राज्य सेवाओं में प्रोन्नति में आरक्षण का निर्णय लागू होने के उपरान्त सरकार द्वारा समय-समय पर आरक्षण के बारे में कई संकल्प एवं परिपत्र निर्गत किये गए हैं । उदाहरणस्वरूप नीतिमूलक महत्वपूर्ण कुछ संकल्प एवं परिपत्र निम्न प्रकार हैं :-

(क) परिपत्र संख्या-9277, दिनांक 29 मई, 1971 जिसके द्वारा सभी विभागों से अनुशंसा मांगी गयी थी कि किसी कोटि में प्रोन्नति के लिए उसके ठीक निम्नतर कोटि के पद में कम-से-कम कितने वर्षों की सेवा आवश्यक मानी जायेगी ।

(ख) परिपत्र 22204, दिनांक 21 दिसम्बर, 1971 जिसके द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रोन्नति में आरक्षण से सम्बन्धित निर्धारित अवधि के सम्बन्ध में जब तक अंतिम निर्णय नहीं हो जाये, तब तक किसी भी पदाधिकारी की प्रोन्नति नहीं हो ।

(ग) परिपत्र 19108, दिनांक 12 अक्टूबर, 1972 जिसके द्वारा निर्णय लिया गया कि न्यूनतम कालावधि सम्बन्धी निर्णय केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति पर नहीं, बल्कि सभी गैर-अनु० जातियों पर भी समानरूप से लागू होगा ।

(घ) परिपत्र संख्या-18303, दिनांक 8 दिसम्बर, 1972 जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि अवधि निर्धारण का अभिप्राय है कि ऐसा न हो कि कोई सरकारी सेवक समुचित अनुभव प्राप्त किये बिना किसी ऐसे उच्चतर पद पर प्रोन्नति पा जाये जिसका उत्तरदायित्व सम्भालने में वे असमर्थ हों ।

(ङ) परिपत्र संखय-288, दिनांक 16 मई, 1978 जिसके द्वारा यह निर्णय लिया गया कि केवल अनु० जाति एवं जन-जाति के लिए निर्धारित कालावधि में एक साल की छूट दी जाये ।

(च) परिपत्र-382, दिनांक 3 अगस्त, 1978 जिसके द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सामान्य जाति के पदाधिकारियों के लिए प्रोन्नति के लिए निर्धारित न्यूनतम कालावधि में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाये । यदि निर्धारित न्यूनतम कालावधि पूरा करने वाले व्यक्ति विभाग में उपलब्ध नहीं हों, तो लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापन द्वारा सीधी नियुक्ति से भरा जाये और यदि इसके बाद भी योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हों, तो पदों को रिक्त रखा जाये ।

2. पदों का सृजन विकास तथा अन्य सरकारी कार्यों के लिए प्रयोजन तथा वित्तीय दृष्टिकोण इत्यादि से आवश्यक छानबीन के पश्चात् किया जाता है । अर्थात् निधि का उपबन्ध कर पद के सृजन करने का निर्णय का अर्थ है कि राज्य विधान मंडल के प्रति एवं योजना सम्बन्धी कार्यों के लिए योजना आयोग के माध्यम से केन्द्रीय सरकार के भी प्रति राज्य सरकार जिम्मेवार है तथा वचनबद्ध हो जाता है । पद सृजन करने के पश्चात् यदि राज्य सरकार यह तय करे कि पद को खाली रखा जाय, चूँकि आरक्षण सम्बन्धी नीति में वर्णित कालावधि का अक्षरशः अनुपालन किया नहीं जा सकता है, तो उस निर्णय में स्पष्टतः विरोधाभास हो जाता है ।

3. आरक्षण सम्बन्धी नीति अपने आप में एक विशेष सराहनीय नीति है । लेकिन यह तय करना है कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कालावधि पूरा करने वाला उम्मीदवार नहीं उपलब्ध है, अतः न तो कालावधि को घटाया जाये न तो पद को ही भरा जाये । सरकार का विकास तथा अन्य लोकहित से सम्बन्धित कार्यों में अवरोध हो जाता है ।

4. अतः मंत्रिपरिषद् के दिनांक 19 अक्टूबर, 1982 के निर्णयानुसार सभी प्रासंगिक पूर्व आदेशों को संशोधित करते हुये निम्नांकित आदेश दिया जाता है :–

(क) किसी भी स्तर पर प्रोन्नति हेतु उसके ठीक नीचे के स्तर का उन पदाधिकारियों के बारे में विचार किया जाये जो पूर्व से निर्धारित न्यूनतम कालावधि पूरा कर लिये हों । इस कार्रवाई के बाद प्रथम समव्यवहार (First transaction) को बंद समझा जाये ।

(ख) प्रथम समव्यवहार (First transaction) के बाद भी यदि प्रोन्नति हेतु रिक्तियाँ बच जाती है, तो निर्धारित न्यूनतम कालावधि में उतनी छूट दी जाये जिसके द्वारा बचे हुये पद के अधिक-से-अधिक तीन गुना उम्मीदवार विचार के क्षेत्र के अन्दर (Within zone of consideration) आ जाते हों । कालावधि में इस प्रकार की छूट देते समय सामान्य जाति के उम्मीदवारों की तुलना में अनु० जाति/जन जाति के उम्मीदवारों को एक वर्ष की अधिक की छूट मिलेगी ।

(ग) इस प्रकार के छूट देकर द्वितीय समव्यवहार (Second transaction) में उम्मीदवारों के विचार के क्षेत्र (zone of consideration) में लाने के लिए प्रशासी विभाग पहले अपने विभागीय मंत्री के अनुमोदन के पश्चात् कार्मिक विभाग में मुख्यमंत्री के स्तर से सहमति प्राप्त करेंगे ।

आदेश – आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाये और इसकी प्रति महालेखाकार, लोक सेवा आयोग एवं प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेजी जाये ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
दुर्गाशंकर मुखोपाध्याय,
आयुक्त एवं सचिव,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

ज्ञापांक 11601-का० पटना-15, दिनांक 20 अक्टूबर, 1982 ।

प्रतिलिपि सरकार के प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष/आयुक्त/जिला पदाधिकारी/महालेखाकार, बिहार, राँची/लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

दुर्गाशंकर मुखोपाध्याय,
आयुक्त एवं सचिव,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

संकल्प

विषय :- सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिये निर्धारित कालावधि में छूट देने के संबंध में ।

कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या 9277 दिनांक 29-5-1971 द्वारा प्रत्येक विभाग में सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति के लिये कालावधि निर्धारित किया गया है ताकि ऐसा न हो कि कोई सरकारी सेवक समुचित अनुभव प्राप्त किये बिना ऐसे उच्चतर पद पर प्रोन्नति पा जाय जिसका उत्तरदायित्व संभालने में वह असमर्थ हो । इधर विभाग को यह जानकारी मिली है कि प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले विभिन्न पदों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवार को निर्धारित कालावधि पूरा नहीं करने के कारण प्रोन्नति नहीं दी जाती है और सरकारी नियम के अनुसार उक्त सुरक्षित पदों को असुरक्षित कर सामान्य जाति से भर दिया जाता है तथा यह भी सूचना है कि कतिपय विभाग में कई मामलों में तो यह कठिनाई इसलिये होती है कि वांछित योग्यता प्राप्त अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवार तो मिलते हैं परन्तु उनके पास पद पर प्रोन्नति के लिये निर्धारित कालावधि नहीं होता है तथा विभिन्न विभाग द्वारा कालावधि में छूट देने के लिये कार्मिक विभाग की राय प्राप्त किया करते है जिसमें एकरूपता नहीं अपनायी जा रही है । इन सभी कारणों से सुरक्षित जाति के लिये सुरक्षित पद को असुरक्षित कर सामान्य जाति के उम्मीदवारों से प्रोन्नति दी जाती है ।

2. राज्य सरकार चिंतित है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति को विहित प्रतिशत का प्रतिनिधित्व मिल सके इस उद्देश्य की पूर्त्ति के लिए प्रोन्नति में जो निर्धारित कालावधि है उसमें कहां तक छूट दी जाय इस प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार हुआ और इस पर कानूनी परामर्श भी लिया गया है ।

3. राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अगर अनुसूचित जाति/जन-जातियों के लिये निर्धारित कालावधि में कुछ छूट दी जाती है तो असंवैधानिक नहीं होगा । कहने का अर्थ यह है कि अगर सामान्य जाति के उम्मीदवार के लिये जो कालावधि निर्धारित है, उससे कम कालावधि आरक्षित जाति के लिये निर्धारित की जा सकती है । इस समस्या का समाधान निर्धारित कालावधि में छूट देकर की जा सकती है । अतः यह निर्णय लिया गया है कि आरक्षित जातियों के लिये निर्धारित कालावधि में कुछ अवधि को शिथिलता के सिद्धान्त को स्वीकार किया जाय । अतः जो कालावधि निर्धारित है उसमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों के लिये एक साल की छूट दी जाय ताकि उनका प्रतिनिधित्व सरकारी सेवाओं में पूरा हो सके और जो पद आरक्षित जाति के लिये अग्रनीत किये जाते हैं उसमें सुधार हो सके ।

उपरोक्त संदर्भ में प्रत्येक संवर्ग के लिये जो निर्धारित कालावधि है, सरकार ने अनुसूचित जाति/जन-जाति के लिये एक वर्ष कम कालावधि रखने का निर्णय लिया है। सामान्य जाति के लिये कालावधि में छूट दी जाय या नहीं इस पर अलग से विचार किया जाय।

आदेश :- आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिये इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-पुरणमल मित्तल

सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप संख्या 11/आ 1-1018/77 का०-288 पटना-15, दिनांक 16 मई, 1978

प्रतिलिपि -- महालेखापाल, बिहार लोक सेवा आयोग एवं प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये प्रेषित।

ह०/-पुरणमल मित्तल

सरकार के उप सचिव।

पत्र संख्या-11/वि. 4-काला. नि./छू.-01/2000 का० 38

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री कुंज बिहारी दास,

सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

वाणिज्यकर आयुक्त, वित्त (वाणिज्यकर) विभाग,

बिहार, पटना ।

पटना-15, दिनांक 8 मार्च, 2000

विषय : **सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कालावधि निर्धारण के सम्बन्ध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 9277, दिनांक 29-5-71 की कंडिका-4 के अनुपालन में वित्त (वाणिज्यकर) विभाग के नियंत्रणाधीन सांख्यिकी लिपिक संवर्ग के सृजित पदों पर प्रोन्नति से भरने हेतु निम्नांकित कालावधि निर्धारित की जाती है :-

क्रमांक	निम्नतर पद/वेतनमान	उच्चतर पद/वेतनमान	प्रोन्नति हेतु कालावधि
1.	सांख्यिकी लिपिक (1400-2600 रु०)	कनीय प्रवर कोटि सांख्यिकी लिपिक (1500-2750 रु०)	5 वर्ष
2.	कनीय प्रवर कोटि सांख्यिकी लिपिक (1500-2750) रु०	वरीय प्रवर कोटि सांख्यिकी लिपिक (1640-2900)	5 वर्ष
3.	वरीय प्रवर कोटि सांख्यिकी लिपिक (1640-2900 रु०)	सुपर टाईम प्रवर कोटि सांख्यिकी लिपिक (1800-3330 रु०)	3 वर्ष

कालावधि की गणना निम्नतर पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति की तिथि से की जायेगी ।

विश्वासभाजन,

ह०/-कुंज बिहारी दास,

सरकार के उप सचिव

पत्र संख्या-11/आ० 4-काला. नि./छू.-01/2000 का० 151

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री कुंज बिहारी दास,

सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग ।

पटना-15, दिनांक 27 मार्च, 2001

विषय : सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर कालावधि का निर्धारण ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के संकल्प संख्या-9277 दिनांक 29.5.91 की कंडिका-4 के अनुपालन में पशुपालन एवं मत्स्य विभाग (मत्स्य) से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में प्रोन्नति हेतु राज्य सरकार ने निम्नांकित कालावधि निर्धारण करने का निर्णय लिया है :-

क्रमांक	निम्नतर पद/वेतनमान	उच्चतर पद/वेतनमान	प्रोन्नति हेतु कालावधि
1.	मत्स्य प्रसार पदाधिकारी	कनीय प्रवर कोटि	5 वर्ष
2.	कनीय प्रवर कोटि	वरीय प्रवर कोटि	3 वर्ष
3.	वरीय प्रवर कोटि	अधिकाल वेतनमान	2 वर्ष

कालावधि की गणना निम्नतर पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति की तिथि से की जायेगी ।

विश्वासभाजन,

ह०/-कुंज बिहारी दास,

सरकार के उप सचिव

पत्र संख्या-11/आ० 4-आ. नि. 04/97 का०-59

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

डॉ० राम नयन,

सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी सचिव

सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना-15, दिनांक 21 जुलाई, 1999

विषय : विभिन्न विभागों की विभागीय स्थापना/प्रोन्नति समिति की बैठक में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पदाधिकारियों का मनोनयन ।

महोदय,

निदेशानुसार कहना है कि बिहार सेवा एवं पदों में आरक्षण अधिनियम-3,1992 की धारा-9 के अनुसार राज्य सरकार को हरेक स्थापना/प्रोन्नति समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एक पदाधिकारी का मनोनयन करने का प्रावधान है, तदनुसार प्रत्येक विभाग के अधीन राजपत्रित/अराजपत्रित पदों पर विभागीय स्थापना/प्रोन्नति समिति में निम्नांकित अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारियों को बैठक में सम्मिलित होने के लिए मनोनीत किया जाता है :-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम/पदनाम	आवंटित विभाग
1.	श्री पी. के. अजोरिया (भा. प्र. से.) कारा महानिरीक्षक, बिहार ।	1. उद्योग विभाग 2. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 3. जल संसाधन विभाग ।
2.	श्री बालेश्वर दास (भा. प्र. से.) अपर सचिव, नगर विकास विभाग	1. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग 2. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग 3. पर्यटन विभाग ।
3.	श्री जुलियस कच्छप (बि. प्र. से.) उप सचिव सहाय्य एवं पुनर्वास विभाग	1. कृषि विभाग 2. पशुपालन एवं मत्स्य विभाग 3. ग्रामीण विकास विभाग

4.	श्री एस. एन. राजू (भा. प्र. से.) संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	1. गृह (कारा) विभाग 2. मानव संसाधन विकास विभाग 3. सिविल विमानन विभाग ।
5.	श्री लियान कुंगा (भा. प्र. से.) संयुक्त सचिव, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन विभाग	1. ऊर्जा विभाग 2. पथ निर्माण विभाग 3. भवन निर्माण विभाग ।
6.	श्री रामानन्द पासवान (भा. प्र. से.) अपर सचिव, सहकारिता विभाग	1. साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग 2. कल्याण विभाग 3. भवन निर्माण विभाग
7.	श्री शिवनन्दन राम (भा. प्र. से) अपर सचिव, वित्त विभाग ।	1. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग 2. लघु सिंचाई विभाग 3. 20-सूत्री कार्यक्रम विभाग
8.	श्री दलित पासवान (बि. प्र. से.) संयुक्त सचिव, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	1. कार्मिक एवं प्र. सु. विभाग 2. स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग 3. खान एवं भूतत्व विभाग ।
9.	श्री राम लखन प्रसाद (भा. प्र. से.) विशेष सचिव, उद्योग विभाग	1. ईख विभाग 2. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 3. नगर विकास विभाग ।
10.	श्री गंगा दयाल दास (बि. प्र. से.) उप सचिव, गृह (विशेष) विभाग	1. परिवहन विभाग 2. गृह (आरक्षी) विभाग 3. वन एवं पर्यावरण विभाग
11.	श्री फूलेश्वर पासवान (सं. सं.) उप सचिव-सह-बजट पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना	1. गृह (विशेष) विभाग 2. खाद्य एवं आपूर्ति विभाग 3. योजना एवं विकास विभाग ।
12.	श्रीमती कैथरीन लकड़ा (सं. सं.) उप सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	1. वित्त विभाग 2. मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग 3. राजभाषा विभाग ।

13.	श्री उमाशंकर प्रसाद (बि. प्र. से.) उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग बिहार, पटना ।	1. विधि विभाग 2. मंत्रिमंडल (सचिवालय) विभाग (मुख्यमंत्री सचिवालय सहित) 3. वित्त वाणिज्यकर विभाग
14.	श्री पीटर कुजूर (बि. प्र. से.) विशेष सचिव, कल्याण विभाग बिहार, पटना ।	1. आवास विभाग 2. मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग 3. वित्त (अंकेक्षण) विभाग 4. लोक उद्यम ब्यूरो विभाग ।

2. आवंटित विभिन्न विभागों में राजस्व पर्षद/बिहार लोक सेवा आयोग की (राजपत्रित/अराजपत्रित) बैठक में भी मनोनीत सदस्य का निश्चित रूप से उपस्थिति/हस्ताक्षर रहना अनिवार्य है ।

3. संबंधित सभी विभागीय सचिव द्वारा आयोजित बैठक की कार्यावली एक सप्ताह पूर्व सभी मनोनीत सदस्यों को परिचारित करा दिया जाय तथा बैठक के लिए मनोनीत सदस्य के सीधे पत्राचार/सम्पर्क किया जाय ।

4. इसके पूर्व सभी निर्गत मनोनीत सदस्य का आदेश रद्द समझा जाय ।

5. प्रत्येक विभाग में आरक्षित वर्ग के मनोनीत सदस्य द्वारा सरकारी संवैधानिक आरक्षण अधिनियम/नियम/परिपत्र/आदेश के अनुपालन में कार्य करेंगे ।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा ।

विश्वासभाजन,

ह०/-डॉ० राम नयन

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक-11/आ-4-आ. नि-04/97 का.-59

पटना-15, दिनांक 21 जुलाई, 99

प्रतिलिपि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/बिहार लोक सेवा आयोग/सचिव, राजस्व पर्षद्/मुख्य सचिव/संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-डॉ० राम नयन

सरकार के उप सचिव ।

पत्र संख्या-11/आ० 4-आ. नि. 04/97 का०-310

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री कुंज बिहारी दास,

सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सभी विभागीय सचिव

सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना-15, दिनांक 14 दिसम्बर, 2000 ।

विषय : **विभिन्न विभागों की विभागीय स्थापना/प्रोन्नति समिति की बैठक में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पदाधिकारियों का मनोनयन ।**

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार सेवा एवं पदों के आरक्षण अधिनियम-3,1992 की धारा-9 के अनुसार राज्य सरकार को हरेक विभागीय स्थापना/प्रोन्नति समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एक पदाधिकारी का मनोनयन करने का प्रावधान है । तदनुसार प्रत्येक विभाग के अधीन राजपत्रित/अराजपत्रित पदों पर विभागीय स्थापना/प्रोन्नति समिति में आरक्षण की धारा-5 में उपबंधित नियमों के अनुपालनार्थ निम्नांकित अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारियों को बैठक में सम्मिलित होने के लिए मनोनीत किया जाता है :-

क्रमांक	**पदाधिकारी का नाम/पदनाम**	**आबंटित विभाग**
1	**2**	**3**
1.	श्री राजेश्वर राम (भा. प्र. से.) अपर सचिव, कल्याण विभाग	1. उद्योग विभाग 2. जल संसाधन विभाग । 3. संसदीय कार्य विभाग 4. गृह (कारा) विभाग
2.	श्री रामनन्दन पासवान (भा. प्र. से.) अपर सचिव, सहकारिता विभाग	1. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग 2. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग 3. पर्यटन विभाग । 4. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

3.	श्री मिश्री प्रसाद पासवान (भा.प्र.से) अपर सचिव, कल्याण विभाग	1. श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग 2. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग 3. खान एवं भूतत्व विभाग 4. वित्त (वाणिज्यकर) विभाग 5. ग्रामीण विकास विभाग
4.	श्री राम लखन प्रसाद (भा. प्र. से.) विशेष सचिव, उद्योग विभाग	1. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 2. ईख विभाग 3. नगर विकास विभाग 4. सिविल विमानन विभाग 5. लोक उद्यम ब्यूरो विभाग
5.	श्री जगदीश दास (बि. प्र. से.) उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	1. गृह (विशेष) विभाग 2. योजना एवं विकास विभाग 3. कृषि विभाग 4. मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग
6.	श्री सहदेव रजक (बि. प्र. से.) उप सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	1. पशुपालन एवं मतस्य विभाग 2. कला, संस्कृति एवं युवा विभाग 3. साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग 4. कल्याण विभाग
7.	श्री राजेन्द्र प्रसाद (बि.प्र से.) उप सचिव, पशुपालन विभाग ।	1. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग 2. लघु सिंचाई विभाग 3. 20-सूत्री कार्यक्रम विभाग 4. भवन निर्माण एवं आवास विभाग
8.	श्री परमानन्द पासवान (बि. प्र. से.) संयुक्त सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	1. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 2. गृह (आरक्षी) विभाग 3. वन एवं पर्यावरण विभाग 4. वित्त विभाग 5. ऊर्जा विभाग

9.	श्री कुंज बिहारी दास उप सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	1. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 2. खान एवं आपूर्ति विभाग 3. परिवहन विभाग 4. पथ निर्माण विभाग
10.	श्री चन्द्रशेखर चौधरी उप सचिव, मंत्रिमंडल एवं समन्वय विभाग	1. विधि विभाग 2. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (मुख्यमंत्री सचिवालय सहित) 3. उच्च शिक्षा विभाग 4. सेकेन्ड्री, प्रा. एवं वयस्क शिक्षा विभाग 5. निबंधन विभाग
11.	श्री फूलेश्वर पासवान उप सचिव-सह-बजट पदाधिकारी, वित्त विभाग	1. मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग 2. राजभाषा विभाग 3. सांख्यिकी वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग 4. वित्त (अंकेक्षण) विभाग 5. सहकारिता विभाग ।

2. विभागीय परिपत्र संख्या-17, दिनांक 8.2.2000, परिपत्र संख्या-54, दिनांक 4-4-2000, परिपत्र संख्या-84, दिनांक 13.5.2000, परिपत्र संख्या 106 दिनांक 19.6.2000, परिपत्र संख्या 226 दिनांक 30.9.2000 एवं परिपत्र संख्या-287 दिनांक 16.11.2000 को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

3. आबंटित विभागों में राजस्व पर्षद, बिहार लोक सेवा आयोग के राजपत्रित/अराजपत्रित बैठक में भी मनोनीत सदस्यों का निश्चित रूप से उपस्थिति/हस्ताक्षर रहना अनिवार्य है ।

4. विभागीय सचिव द्वारा आयोजित बैठक की कार्यावली/नियम के साथ एक सप्ताह पूर्व सभी मनोनीत सदस्यों को परिचारित करा दिया जाय तथा बैठक के लिए मनोनीत सदस्य से सीधे पत्राचार सम्पर्क किया जाय ।

5. आरक्षित वर्ग के मनोनीत सदस्य सरकारी संवैधानिक आरक्षण अधिनियम-3, 1992 की धारा-5 के उपबंध तथा नियम/परिपत्र, आदेश के अनुपालन में कार्य करेंगे ।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा ।

विश्वासभाजन,

ह०/-कुंज बिहारी दास

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक-11/आ-4-आ. नि-04/97 का.-310 पटना-15, दिनांक 11 दिसम्बर, 2000

प्रतिलिपि, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, राजस्व पर्षद/मुख्य सचिव, बिहार/सचिव के सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-कुंज बिहारी दास

सरकार के उप सचिव ।

पत्र सं०-11/आ० 1-102/85 का०-223

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री केशव प्रसाद,

सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलायुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी अनुमंडलाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 23 मार्च, 85 ।

विषय : अनु० जाति / अनु० जन-जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में अनुदेश ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय भारत सरकार के पत्र दिनांक 12-12-84, दिनांक 29-3-76 एवं दिनांक 6-8-84 **की प्रतिलिपियाँ मार्गदर्शन हेतु संलग्न की जाती है ।**

2. **कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दें ।**

विश्वासभाजन,

ह०/-केशव प्रसाद

सरकार के अवर सचिव ।

No-BC-12025/3/76-SCT-1

Government of India/ Bharat Sarkar

Ministry of Home Affairs/ Grih Mantralaya

New Delhi, the 9th March, 1976

To

The Chief Secretaries to all State
Governments/Union Territory Administrations.

Subject : Issue of Scheduled Caste/Tribe certificates-Providing for punishments for Officials issuing such certificates without proper verification.

Sir,

I am directed to say that instances have come to notice wherein Scheduled Caste/Tribe certificates have been issued carelessly or deliberately without proper verification by the officials empowered to issue such certificates. This has resulted in many persons availing the benefits meant for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes on false pretext. This has come to the adverse notice of the Parliamentary Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The Commissioner for Scheduled Castes & Scheduled Tribes has also taken note of this situation and has desired that suitable steps should be taken to prevent such wrong issue of certificates. The matter has been considered very carefully by this Ministry and it has been decided that deterrent action should be taken against officials who issue certificates carelessly or deliberately without proper verification. It is accordingly suggested that the State Government/Union Territory Administrations may issue instructions to all the officials under their control who are empowered to issue the certificates to take proper care before issuing them. They may also be informed that action would be taken against them under the relevent provisions of the Indian Penal Code if any of them is found to have issued the certificates carelessly and without proper verification in addition to the action to which they are liable under the appropriate disciplinary rules applicable to them. The action taken in the matter may kindly be intimated to this Ministry at a very early date.

Yours faithfully,

Sd/- O. R. Srinivasan

Under Secretary to the Govt. of India.

No. BC-12025/3/76-SC & BCD. I

Government of India/ Bharat Sarkar

Ministry of Home Affairs/ Grih Mantralaya

New Delhi, the 12 Dec. 1984

To,

The Chief Secretary,
Government of Bihar, Patna

Subject : Issue of Scheduled Caste/Tribe certificates-Providing for punishments for Officials issuing such certificates without proper verification.

Sir,

I am directed to say that this Ministry is constantly receiving complaints that the Scheduled Caste and Scheduled Tribe certificates are being issued by the competent authorities carelessly or deliberately without proper verification of the particulars. Every care has to be taken to verify the ordinary place of residence (permanent abode) as required in this Ministry's letter No. BC/ 12025/3/76-SC & BCD. I dated 29.3.77 and the genuineness of the the community claimed by the applicants. In order to ensure that the certificate are issued to the deserving and genuine persons only, it is necessary that proper verfication based primarily on the revenue records and if need be, through reliable enquries, is made before issue of the certificates. Issue of wrong certificates creates great problem for the State Governments/ U.T. Administrations and the Government of India. It is accordingly requested that the State Governments/ U. T. Administrations may issue instructions to all the competent authorities under them to take proper care and conduct all verifications before issuing the certificates. It is also desirable that the official (s) who is (are) found guilty after investigations, to have issued wrong certificates, action may be taken against them strictly as suggested in this Ministry's letter of even number dated 29.3.77.

2. It may also please be ensured that the Scheduled Caste and Scheduled Tribe certificates may be issued strictly in the form prescribed by the Government of India and circulated in this Ministry's letter No. BC. 16014/1/82. SC & BCD. 1, dated 6.6.84.

Yours faithfully,

Sd/-B. N. Srivastava

Director

पत्रांक बी०सी०-16014/1/82-एस०सी० एण्ड बी० सी० डी०-1 दिनांक 6 अगस्त, 1984 का अनुलग्नक

अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवार द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का फार्म ।

जाति प्रमाण पत्र का फार्म

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी -- पुत्र/पुत्री श्री ------------------------------ ग्राम नगर ---------------------------- में ---------------------------- जाति /जन जाति का है, जिसे निम्नलिखित आदेशों के तहत अनु० जाति /अनु० जन-जाति के रूप में मान्यता दी गई है :-

संविधान (अनु० जाति) आदेश, 1950

संविधान (अनु० जन जाति) आदेश, 1950

संविधान (अनु० जाति) (संघ शासित क्षेत्र) आदेश, 1951

संविधान (अनु० जन जाति) (संघ शासित क्षेत्र) आदेश, 1951

(अनु० जाति तथा अनु० जन जाति सूची) संशोधन आदेश, 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनु० जाति अनु० जन जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित)

संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनु० जाति आदेश, 1956

अनु० जाति तथा अनु० जन जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा यथा संशोधित संविधान (अंडमान व निकोबार द्वीप समूह) अनु० जन जाति आदेश, 1959

संविधान (दादर व नागर हवेली) अनु० जाति आदेश, 1962

संविधान (दादर व नागर हवेली) अनु० जन जाति आदेश, 1962

संविधान (पांडिचेरी) अनु० जाति आदेश, 1964

संविधान (उत्तर प्रदेश) अनु० जन जाति आदेश, 1967

संविधान (गोवा दमन व दीव) अनु० जाति आदेश, 1968

संविधान (गोवा दमन व दीव) अनु० जन जाति आदेश, 1968

संविधान (नागालैण्ड) अनु० जन जाति आदेश, 1970

संविधान (सिक्किम) अनु० जाति आदेश, 1978

संविधान (सिक्किम) अनु० जन जाति आदेश, 1978

2. अनु० जाति/ अनु० जन जाति के उन व्यक्तियों के मामलों में लागू जो एक राज्य संघ शासित क्षेत्र प्रशासन से दूसरे में चले गए हैं ।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती /कुमारी ------------------------------ के पिता / माता / श्री / श्रीमती -------------------------- ग्राम / नगर -------------------------- जिला / प्रभाग ---------------------------- राज्य /संघ शासित क्षेत्र ------------------------ को, जो ----------------------- जाति/जन जाति के है, जिसे अनु० जाति/ अनु० जन जाति के रूप में राज्य/संघ शासित क्षेत्र द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, -------------- जारीख ------------------ के सं० -------------- के तहत ------------------------ (निर्धारित प्राधिकारी का नाम) द्वारा जारी किये गए अनु० जाति / अनु० जन जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाता है ।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी ------------------------------ और/अथवा उसका परिवार साधारणतः ग्राम/नगर ------------------------------------ जिला/प्रभाग ---------- राज्य/संघ शासित क्षेत्र ------------------------------ में रहता है ।

हस्ताक्षर ---------------------

पद नाम ---------------------

(कार्यालय का मुहर सहित)

स्थान --------------------- राज्य/संघ शासित क्षेत्र

तारीख ---------------------

जो शब्द लागू नहीं है, उन्हें काट दें ।

विशिष्ट राष्ट्रपति आदेश का उल्लेख करें ।

जो पैराग्राफ लागू नहीं है, उसे काट दें ।

नोट :- "साधारणतः" शब्द का वही अर्थ होगा, जैसा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में है ।

XX अनु० जाति/ अनु० जन जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत प्राधिकारियों/की सूची :-

1. जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलैक्टर/उप-आयुक्त/अपर उप आयुक्त/उप कलैक्टर/प्रथम श्रेणी स्टीपेन्डरी मजिस्ट्रेट/ सिटी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त ।

x प्रथम श्रेणी स्टीपेन्डरी मजिस्ट्रेट के पद से नीचे के पद का नही हो ।

2. मुख्य प्रेजीडेन्सी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेजीडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेजीडेन्सी मजिस्ट्रेट ।

3. राजस्व अधिकारी (तहसीलदार के पद से नीचे के पद का न हो)

4. उस इलाके का सब-डिविजनल अधिकारी, जहां उम्मीदवार और/अथवा उसका परिवार आमातौर पर रहता है ।

5. प्रशासक/प्रशासक का सचिव/विकास अधिकारी (लक्षदीप द्वीप समूह)

पत्र संख्या 11/आ०-501/78/का०-756

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

संकल्प

पटना, दिनांक 10 नवम्बर, 1978 ।

विषय – पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण ।

1971 में राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जिसे अन्य बातों के अलावे अन्य पिछड़ा वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिये सुझाव देने का भार सौपा गया । आयोग ने इस बात की छानवीन की कि सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त है या नहीं और निष्कर्ष पर पहुंचा कि श्रेणी 1 एवं 2 में तो उनका प्रतिनिधित्व नगण्य है एवं श्रेणी 3 एवं 4 में भी अपर्याप्त है । उन्होंने यह अनुशंसा की है कि राज्य सरकार को अन्य पिछड़े वर्ग के लिये सेवा में आरक्षण करने के लिये शीघ्र कदम उठाना चाहिए ।

2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 (4) में यह प्रावधान है कि यदि राज्य सरकार की राजय में पिछड़े वर्गों के नागरिकों को प्रतिनिधित्व उनकी सेवाओं में पर्याप्त नहीं है तो उनके लिये नियुक्तियों या पदों में आरक्षण करने में अनुच्छेद 16(4) व्यवधान नहीं डालता है । संविधान के अनुच्छेद 16(4) में पिछड़े नागरिकों, वर्गों का वही अर्थ माना जाता है जो अर्थ अनुच्छेद 15(4) में किसी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिक वर्ग का है । यहां यह उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 15(4) में सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिक वर्ग का उल्लेख है ।

3. आयोग की रिपोर्ट की जांच के उपरान्त राज्य सरकार को समाधान हो गया है कि सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है इसलिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य की सेवाओं की सभी श्रेणियों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिये 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था की जाय, लेकिन यह सुविधा उन्हीं परिवारों को मिल सकेगी जिनकी वार्षिक आय आयकर की छूट की सीमा से अधिक नहीं हो ।

4. राज्य सकरार ने यह निर्णय लिया है कि 20 प्रतिशत आरक्षित पदों में अन्य पिछड़ा वर्ग के अत्यन्त पिछड़े वर्ग के लिय 12 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा, और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये 8 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा । अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिये 3 वर्ष तक रिक्तियां अग्रनित किया जाय । यदि उनके बाद भी उम्मीदवार नहीं मिले तो दूसरे श्रेणी के पिछड़ा वर्ग से भरा जाय । आरक्षण प्रोन्नति में नहीं होगा, केवल प्रथम (सीधी) नियुक्ति में होगा ।

5. पिछड़े वर्गों की सूची तथा पिछड़े वर्ग अत्यन्त पिछड़ी वर्ग के नाम की सूची अलग-अलग संलग्न है ।

6. आरक्षण शाश्वत नहीं रहेगा । जैसे-जैसे पिछड़े वर्ग लोग समुन्नत होते जायेंगे, उनके लिये आरक्षण समाप्त होता जायेगा । यह कार्य समय-समय पर पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन के पश्चात किया जायेगा ।

7. आरक्षण संबंधित सभी प्रक्रिया वही होगी जो अनु० जाति/जन जाति के लिये लागू है ।

8. यह आरक्षण राज्य सरकार की सेवाओं, जिला पर्षद, नगरपालिका, अर्द्ध सरकारी संस्थायें, विश्वविद्यालयों एवं लोक उपक्रमों की सेवाओं में भी लागू होगा जैसा कि अनु० जाति/जन-जाति के लिये लागू किया गया है, और यह आदेश उन रिक्तियों पर लागू होगी जो 31 अक्टूबर, 1978 को, और उसके बाद उपलब्ध होगी ।

9. सभी सचिवों एवं विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि वे इस आदेश में दिए गए अनुदेशों का पालन कड़ाई से करें । नियुक्ति पदाधिकारियों को अनुदेश दे दिया जाय कि इन नियमों के कार्यान्वयन के संबंध में उनके द्वारा की गई चूक को राज्य सरकार बहुत गम्भीरता से लेगी । प्रत्येक नियुक्ति पदाधिकारी को चाहिए कि वह आरक्षण संबंधी इस आदेश को समुचित रूप से कार्यान्वित करने के लिये अपनी जिम्मेवारी का पूरा-पूरा ख्याल रखे । इस आदेश के पालन में किसी प्रकार की चूक के लिये नियुक्ति पदाधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे और उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है ।

10. जहां तक इस आदेश को उच्च न्यायालय, पटना/बिहार विधान सभा/विधान परिषद् के कर्मचारियों के प्रसंग में लागू करने का प्रश्न है मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय, अध्यक्ष, विधान सभा/विधान परिषद् की सहमति/परामर्श प्राप्त कर बाद में आदेश निर्गत किया जायेगा ।

आदेश :- अतः आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिये इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार/बिहार लोक सेवा आयोग/सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/बिहार विधान सभा एवं विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/-के० ए० रामासुब्रह्मण्यम
मुख्य सचिव।

ज्ञाप संख्या 11/आ०-501/78 का० 756 दिनांक 10 नवम्बर, 1978 ।

प्रतिलिपि अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग/महालेखाकार, बिहार, पटना तथा अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय निकायों/निगमों, लोक क्षेत्र उपक्रमों, पर्षदों/सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि वे इसकी प्राप्ति की सूचना दें तथा अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों, स्थानीय निकायों, निगमों, लोक क्षेत्र उपक्रमों, पर्षदों आदि को अविलम्ब सूचित करा दें ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/-पूरणमल मित्तल
संयुक्त सचिव ।

संख्या-सी एस/स्था०-501/83-449

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय ।

संकल्प

पटना-15, दिनांक 16 फरवरी, 1983 ।

विषय – **सरकारी सेवा में नियुक्तियाँ, प्रोन्नति तथा आरक्षण के विषय में निर्गत अनुदेशों, विशेष नियोजन कार्यक्रम एवं स्वनियोजन कार्यक्रम इत्यादि के कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय के अन्तर्गत आयुक्त, आरक्षण एवं प्रशासनिक सुधार-पदेन-प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय के विशेष कृत्य एवं शक्तियाँ ।**

सरकारी सेवा में नियुक्तियाँ/प्रोन्नतियाँ एवं आरक्षण के सम्बन्ध में जारी किए गये निदेशों के अनुपालन में विशेष कार्यक्रम, स्वनियोजन कार्यक्रम एवं इनके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि मंत्रिमंडल सचिवालय के अन्तर्गत एक प्रकोष्ठ का गठन किया जाय । इस प्रकोष्ठ के प्रभारी पदाधिकारी आयुक्त, आरक्षण एवं प्रशासनिक सुधार होंगे, जिनके कर्तव्य, दायित्व एवं शक्तियाँ निम्न प्रकार से होंगे :-

2. (क) नियुक्ति/आरक्षण सम्बन्धी ।

(i) सभी नियुक्तियों/आरक्षणों में सरकारी निदेशों और परिपत्रों का अनुपालन करना ।

(ii) विभिन्न स्थापनाओं (सरकारी कार्यालय/लोक उद्यम/ सरकारी संस्थाएं) का निरीक्षण करना और यह सुनिश्चित करना कि सरकारी आदेशों का पालन हो रहा है ।

(iii) यदि नियुक्तियों के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हो तो उसकी जाँच कराना । यदि वर्ग 3 और 4 में अनियमित नियुक्तियाँ पायी जाय तो उन्हें रद्द करना तथा दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध उपयुक्त स्तर पर प्रतिवेदन भेजना ।

(iv) नियुक्तियों/आरक्षणों के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित करना कि स्थानीय व्यक्तियों को निम्न स्तर के पदों पर अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व मिले ।

(v) नियुक्ति पदाधिकारी/नियुक्ति संस्थान एवं नियोजनालय से सम्पर्क स्थापित करना ताकि उनके माध्यम से सरकार की नीति का कार्यान्वयन हो सके ।

(vi) सरकारी नीति के कार्यान्वयन के रास्ते में यदि कुछ बाधायें है तो उनकी पहचान करना और उनके निराकरण का प्रयास करना ।

(vii) नियुक्ति/आरक्षण सम्बन्धी आंकड़े विभिन्न संस्थानों से एकत्रित करना और उसका संकलन कराना ।

(viii) आरक्षित वर्ग के सदस्यों को आरक्षित पदों पर नियुक्ति के रासते में जो कठिनाइयाँ है, उनका निराकरण कराना और इसके निमित्त विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करना, तकनीकी कोर्सों में प्रवेश दिलाना ।

(ix) जिन जातियों की ओर से अनु० जाति /अनु० जन जाति की श्रेणी में सम्मिलित होने की मांग की जाती है, उनकी जाँच कर सरकार को अपनी अनुशंसा देना ।

(x) नियुक्ति और आरक्षण के विन्दुओं पर नीति सम्बन्धी परामर्श देना ।

(xi) आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों की कार्य क्षमता को बढ़ाने की दिशा में आवश्यक कार्य करना ।

(xii) भारत सरकार के कार्यालयों/ लोक उपक्रमों में सरकारी नीति के अनुरूप स्थानीय लोगों/आरक्षित वर्गों को उनके अधिकारों को दिलाने का प्रयास करना ।

(xiii) निजी क्षेत्र में बिहार वासियों (स्थानीय लोगों/आरक्षित वर्गों) के प्रतिनिधित्व का प्रयास करना ।

(xiv) सरकारी नीति का देहाती क्षेत्रों में प्रसार कराना ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग ''कम्पीट'' कर सकें ।

(xv) किसी नियुक्ति/प्रोन्नति में हो रही अनियमितता या सम्भावित अनियमितता को रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी करना ।

2. (ख) नियोजन सम्बन्धी ।

(i) सभी नियोजनोन्मुखी कार्यक्रमों को क्षेत्र में कार्यान्वित कराना, उसके निमित्त क्षेत्रीय पदाधिकारियों को मार्ग दर्शन और निदेश देना ।

(ii) इस कार्य के लिए सम्बन्धित सभी विभागों के विभागाध्यक्षों से समन्वय रखना ।

(iii) बैंकों से समन्वय कर सांस्थिक वित्त उपलब्धि में मदद करना ।

(iv) नियोजकों से समन्वय कर सरकारी नीति के अनुकूल अधिक से अधिक नियोजन की सुविधाएं उपलब्ध कराना ।

(v) प्रशिक्षण संस्थाओं से समन्वय कर नियोजनोन्मुखी प्रशिक्षण में गतिशीलता लाना तथा ऐसी सुविधाओं को बढ़ाना ।

(vi) नियोजनोन्मुखी नयी योजनाओं को तैयार कराना ।

(vii) प्रखण्ड स्तर पर अशिक्षित वर्ग के मजदूरों के लिए मोडल प्रखण्ड नियोजन योजना तैयार कराना ताकि उसका अनुसरण अन्य प्रखण्डों में किया जा सके ।

(viii) नियोजनोन्मुखी कार्यक्रमों का मूल्यांकन कराना ।

(ix) अनुभव के आधार पर अन्य विभागों को प्रासंगिक योजनाओं में नियोजन के अवसरों की वृद्धि के लिए सुझाव देना ।

(x) और कोई भी कार्य जो इस विषय से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित हो ।

3. **आयुक्त, आरक्षण एवं प्रशासनिक सुधार पदेन प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय होंगे । उन्हें निम्नलिखित शक्तियाँ प्रदत्त की जाती हैं :-**

(i) उन्हें अपने कार्यों के सम्बन्ध में किसी भी कार्यालय और पदाधिकारी के कर्त्तव्यों के निरीक्षण का अधिकार होगा ।

(ii) उन्हें यह भी शक्तियाँ प्रदान की जाती है कि उपर्युक्त मामलों से सम्बन्धित कागजात और संचिकाएं विभाग से मांग सके ।

(iii) उन्हें विभिन्न पदाधिकारियों से प्रतिवेदन इत्यादि मांगने का भी अधिकार होगा ।

(iv) उन्हें सम्बन्धित पदाधिकारियों को निदेश देने का भी अधिकार होगा ।

(v) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र सं० 716 दिनांक 15-12-82 को अंशतः संशोधित समझा जायगा । अब से अनारक्षण के सभी प्रस्ताव मुख्य सचिव के बदले आयुक्त, आरक्षण एवं प्रशासनिक सुधार को भेजे जायेंगे एवं वे ही ऐसे प्रस्तावों पर मुख्यमंत्री का आदेश प्राप्त करेंगे, जिन मामलों में वे उचित समझें या जिन मामलों में वे उचित समझें तथ जिन बिन्दुओं पर उच्चतम स्तर पर कार्रवाई इत्यादि की आवश्यकता हो उन्हें वे मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री के समक्ष उपस्थापित करेंगे ।

4. इस संकल्प द्वारा इस विषय पर पूर्व के सभी संकल्पों का तत्क्षण प्रभाव से अवक्रमण माना जायेगा ।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/सभी प्रमंडलीय आयुक्तों/सभी जिला पदाधिकारियों/सभी उप विकास आयुक्तों / सभी अनुमंडल पदाधिकारियों/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों/सभी अंचल अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित की जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-सुभाष कुमार मुखर्जी

मुख्य सचिव ।

ज्ञाप संख्या- सी एस/स्था०-501/83-449 पटना-15, दिनांक 16 फरवरी, 1983

प्रतिलिपि-सभी विभागों/सभी विभागाध्यक्षों/सभी प्रमंडलीय आयुक्तों/सभी जिला पदाधिकारियों/सभी उप विकास आयुक्तों/सभी अनुमंडल पदाधिकारियों/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों/सभी अंचल अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-शिवेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव

सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या- सी एस/स्था०-501/83-449 पटना-15, दिनांक 16 फरवरी, 1983

प्रतिलिपि-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुजलारबाग, पटना को प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि वे इस संकल्प को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करें तथा प्रकाशन के बाद उसकी 1500 प्रतियाँ इस विभाग को भेजवाने की व्यवस्था करें ।

ह०/-शिवेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव

सरकार के अपर सचिव

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

कार्यालय आदेश

का. आ. सं. 4/स्था 7948/98 का. 466 पटना-15, दिनांक 15 दिसम्बर, 1998 ।

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प संख्या 449 दिनांक 16.2.83 के अनुसार प्रशासनिक सुधार-सह-आरक्षण आयुक्त आरक्षण सम्बन्धी सभी कार्यों को देखने के लिए प्राधिकृत हैं । इसलिए सरकार के आदेशानुसार प्रशासनिक सुधार सह-आरक्षण आयुक्त अगले आदेश तक कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के निम्नांकित प्रशाखाओं के प्रभार में रहेंगे ।

प्रशाखा-11 रोस्टर क्लियरेंस, कालावधि निर्धारण, कालावधि में छूट आदि कार्य ।

प्रशाखा-15 आरक्षण की अवहेलना पर कार्रवाई, अनारक्षण सम्बन्धी कार्य ।

प्रशाखा-16 (क) संगठन एवं पद्धति शाखा का कार्य ।

2. उपर्युक्त प्रशाखाओं के अतिरिक्त वे कर्मचारी कल्याण निदेशालय एवं लोक शिकायत कोषांग के भी प्रभार में रहेंगे ।

3. श्री उमाकांत शरण, अवर सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग उपर्युक्त सभी प्रशाखाओं, निदेशालय एवं कोषांग के कनीय प्रभार में रहेंगे तथा वर्तमान विशेष पदाधिकारी, प्रवर्तन कोषांग जो कि निबंधक के समकक्ष का पद है वे निबंधक के रूप में कार्य करेंगे ।

4. प्रशासनिक सुधार सह आरक्षण आयुक्त संचिकाएं सीधे मुख्य सचिव के माध्यम से सरकार के समक्ष उपस्थापित करेंगे । जब आरक्षण आयुक्त के पद पर किसी पदाधिकारी का पदस्थापन नहीं रहेगा तो पूर्ववत उपर्युक्त सभी कार्यों का उत्तरदायित्व कार्मिक सचिव के पास ही बना रहेगा ।

5. इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश को यथा संशोधित समझा जाय ।

6. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू समझा जायगा ।

ह०/-देवाशीष गुप्ता

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक 4/स्था० 7948/98 का०-466 पटना-15, दिनांक 15 दिसम्बर, 1998 ।

प्रतिलिपि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/मुख्य सचिव के सचिव, बिहार पटना/प्रशासनिक सुधार सह आरक्षण आयुक्त, बिहार पटना / महाधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय, पटना/ रांची/कार्मिक विभाग के सभी पदाधिकारी / सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ सभी निबंधक को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-देवाशीष गुप्ता

सरकार के सचिव ।

संख्या 11/आ-1-126/75-234 का०

कार्मिक विभाग ।

संकल्प

विषय :- अनुसूचित जाति/अनुसूचिज जन-जाति संबंधी सेवा आरक्षण का कार्यान्वयन करने के लिये जिला मुख्यालय के विभिन्न विभागों में हुई प्रगति के समीक्षा करने के लिए कार्मिक विभाग के अधीन एक प्रवर्तन यंत्र (Enforcement machinery) की स्थापना तथा उसके लिए एक विशेष पदाधिकारी के पद का सृजन ।

भारतीय संविधान के उपबंधों के आधार पर राज्य सरकार ने 1953 से ही अपने अधीन सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति/ जन-जाति की नियुक्ति के लिए आरक्षण का उपबंध किया है और राज्य सरकार पर यह एक संवैधानिक उत्तरदायित्व है कि सही ढंग से इसका कार्यान्वयन कराया जाय । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अर्थात् अनु० जाति एवं अनु० जन-जाति के सदस्यों को सरकारी सेवाओं में विहित प्रतिशत में प्रतिनिधित्व मिल सके, राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर सरकारी सेवाओं एवं पदों में सुरक्षण संबंधी अनेकों आदेश निर्गत किये गए हैं । लेकिन प्रायः यह पाया गया है कि पदाधिकारियों के द्वारा आरक्षण आदेश ठीक से कार्यान्वित नहीं किये जाते हैं । अतएव राज्य सरकार ने अपने अधिन सेवाओं एवं पदों तथा अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्थानीय निकायों, निगमों, संस्थाओं एवं लोक क्षेत्र उपक्रमों की सेवाओं तथा पदों में सरकार द्वारा निर्गत किये गये आरक्षण संबंधी आदेशों का पालन पूर्ण निष्ठा और कड़ाई से हो, इस उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त राज्य सरकार ने कार्मिक विभाग के अधिन जांच पदाधिकारी दल के अलावे एक प्रवर्तन यंत्र (Enforcement machinery) की स्थापना की है तथा उक्त प्रवर्तन यंत्र के लिए एक विशेष पदाधिकारी का पद तथा अराजपत्रित पद सृजित किया है जो प्रमंडल, जिला एवं अनुमंडल में स्थित सरकार के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों एवं सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्थानीय निकायों, निगमों, संस्थाओं एवं लोक क्षेत्र उपक्रमों में जाकर जांच करेगी कि इन कार्यालयों में आरक्षण संबंधी आदेशों का कहाँ तक अनुपालन किया जा रहा है, तथा इस दिशा में हुई प्रगति से सरकार को अवगत करायेंगी ।

2. विशेष पदाधिकारी आरक्षण मामलों में निम्नांकित बिन्दुओं पर राज्य सरकार के अधीन सेवाओं, पदों तथा सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्थानीय निकायों, निगमों, संस्थाओं एवं लोक क्षेत्र उपक्रमों के किसी भी राज्य स्तरीय अथवा क्षेत्रींय कार्यालयों के पदों की जांच करने को सक्षम होंगे ।

(1) जिस स्थापना कार्यालय की जांच करनी है उसका लोक बल क्या है और उसमें कितने संवर्ग हैं ।

(2) प्रत्येक नियुक्ति के मामले में 1953 से प्रोन्नति के मामले में 15 जून, 1971 के बाद की नियुक्तियों में आरक्षण का विहित प्रतिशत हर संवर्ग में पूरा किया गया है अथवा नहीं, यदि नहीं तो क्यों ?

(3) कार्यालय द्वारा प्रदत्त सूचनाओं की पुष्टि एक्वीटेन्स रौल, वगैरह देखकर करना ।

(4) संवर्गानुसार कर्मचारियों की संख्या एंव उनमें अनुसूचित जाति/जन-जाति की संख्या ।

(5) आरक्षण के अनुसार अपेक्षित प्रतिशत खासकर तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय पदों में । यदि नहीं तो क्या

कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या 5305 दिनांक 10 मई 1973 के अनुसार कुल रिक्तियों का 50 प्रतिशत पद इसके लिए आरक्षित किया गया है ताकि इसके आरक्षण का कोटा पुरा हो सके । यदि नहीं तो क्यों ?

(6) रोस्टर का अनुपालन होता है अथवा नहीं । यदि हां, तो वह विहित प्रपत्र में पंजीबद्ध रूप में खोला गया अथवा नहीं ।

(7) आरक्षित संबंधित आदेशों का उल्लंघन करने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश ।

(8) प्रोन्नति के मामले में कालावधि का निर्धारण हुआ है अथवा नहीं । यदि नहीं तो क्यों ?

(9) सुरक्षित पदों को अनारक्षित करने के पूर्व कार्मिक विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया है अथवा नहीं ?

(10) आरक्षण संबंधी आदेशों का विश्लेषण एवं हर क्षेत्रीय कार्यालय में इनका प्रचार प्रसार संबंधी आवश्यक कार्य ।

उपर्युक्त समीक्षाओं के प्रसंग में विशेष पदाधिकारी को यह प्राधिकार होगा कि समय-समय पर जिलाधिकारी या अन्य विभागों में उच्चतम क्षेत्रीय पदाधिकारियों के अधीनस्थ किसी पदाधिकारी को समीक्षा की सहायता हेतु प्रतिनियुक्ति करवा सकें एवं उनका सहयोग प्राप्त कर सकें तथा किसी भी पदाधिकारी से कोई संबंधित कागजात प्राप्त करने में अधिकारी की सहायता करने के लिए कार्मिक विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक प्रतिनियुक्त किये जा सकते हैं ।

आदेश : आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, लोक सेवा आयोग एवं प्रत्येक विभाग/विभामाध्यक्ष एवं जिलाधिकारी को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-मुकुन्द प्रसाद

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञाप संख्या 11/आ-1-126/75-234 का. पटना-15, दिनांक 17 अगस्त, 1976

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, रांची/लोक सेवा आयोग एवं सरकार के प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष/राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय निकायों, निगमों, लोक क्षेत्र उपक्रमों, पर्षदों/सभी आयुक्तों एंव जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि वे इसकी सूचना अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों, स्थानीय निकायों, निगमों, लोक क्षेत्र उपक्रमों, पर्षदों आदि को अविलंब करा दें ।

ह०/-कीर्ति नारायण

सरकार के उप सचिव ।

पत्र संख्या-11/आ० 04-आ० नि०-04/97 का०-100

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री राजीव लोचन,

सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सचिव, ऊर्जा विभाग

सचिव, पथ निर्माण विभाग

सचिव, निबंधन विभाग

सचिव, योजना एवं विकास विभाग

सचिव, नगर विकास विभाग ।

सहकारिता विभाग ।

पटना-15, दिनांक 13 सितम्बर, 99 ।

विषय – **विभिन्न विभागों में विभागीय स्थापना/प्रोन्नति समिति की बैठक में अनु० जाति/जनजाति के पदाधिकारियों का मनोनयन ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या 59, दिनांक 21.7.99 के क्रम में कहना है कि बिहार सेवा एवं पदों में आरक्षण अधिनियम-3, 1992 की धारा-9 के अनुसार राज्य सरकार के हरेक के एक पदाधिकारी का मनोनयन करने का प्रावधान है, तद्नुसार प्रत्येक विभाग के अधीन राजपत्रित/अराजपत्रित पदों पर विभागीय स्थापना/प्रोन्नति समिति में निम्नांकित अनु० जाति/अनु० जनजाति के पदाधिकारियों को बैठक में सम्मिलित होने के लिए मनोनीत किया जाता है ।

क्रमांक	पदाधिकारियों के नाम/पदनाम	आवंटित विभाग
1.	श्री सोहन राम (बि. प्र. से.)	1. ऊर्जा विभाग
	विशेष सचिव,	2. पथ निर्माण विभाग
	योजना एवं विकास विभाग ।	3. निबंधन विभाग

2.	श्री रामानन्द पासवान (भा० प्र० से०) अपर सचिव, सहकारिता विभाग ।	1. श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग 2. कला संस्कृति एवं युवा विभाग ।

2. आवंटित विभागों मे राजस्व पर्षद/बिहार लोक सेवा आयोग की (राजपत्रित/अराजपत्रित) बैठकों में भी मनोनीत सदस्य का निश्चित रूप से उपस्थिति/हस्ताक्षर रहना अनिवार्य है ।

3. प्रत्येक विभाग में आरक्षित वर्ग के मनोनीत सदस्य सरकारी संवैधानिक आरक्षण अधिनियम/नियम/परिपत्र/आदेश के आलोक में कार्य करेंगे ।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा ।

विश्वासभाजन,

ह०/-राजीव लोचन

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञाप सं०-11/आ० 4-आ०नि०-04/97 का० 100 पटना-15, दिनांक 13 सितम्बर, 99

प्रतिलिपि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/बिहार लोक सेवा आयोग/सचिव, राजस्व पर्षद / मुख्य सचिव/ संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-राजीव लोचन

सरकार के उप सचिव ।

पत्रांक-21/आ01-125/75 -का०-20165

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग ।

प्रेषक,

श्री कीर्ति नारायण,

सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी जिलाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 8 नवम्बर, 1975 ।

विषय – **सीधी भर्त्ती एवं प्रोन्नति में अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सरकारी सेवाओं में एवं पदों में सुरक्षण के लिए कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या-469, दिनांक 12 जनवरी, 1971 एवं 4611, दिनांक 11 मार्च, 1972 में दिए गए आदेश से संबन्द्ध अनुपूरक आदेश ।**

महोदय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या-469, दिनांक 12 जनवरी, 1971 एवं 4611, दिनांक 11 मार्च, 1972 द्वारा सीधी भर्त्ती एवं प्रोन्नति के लिए 50 रिक्तियों का एक रोस्टर बनाया गया था, लेकिन उच्चतम न्यायालय के फैसले के आधार पर यदि किसी संवर्ग में प्रथम बार एक ही पद रिक्त हों तो उसे असुरक्षित माना जाएगा एवं दूसरी बार भी केवल एक ही पद रिक्ति हो उसे सुरक्षित माना जायगा । इस संबंध में विभिन्न विभागों से सुरक्षित पद पर निर्णय लेने के लिए पृच्छाएं होती रहती हैं ।

2. अत: राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इन पृच्छाओं एवं शंकाओं के निवारण हेतु उक्त परिपत्रों के द्वारा पूर्व में परिचारित नमूने के तौर पर 50 रिक्तियों के रोस्टर में संशोधन किया जाय । संशोधित रोस्टर का नमूना नीचे दिया जा रहा है उसे अब से नियुक्ति/प्रोन्नतियाँ होंगी उनके लिये अपनाया जाय ।

रोस्टर का नमूना (प्रथम, द्वितीय, तुतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सभी संवर्गों के लिये)

1. असुरक्षित	5-7. असुरक्षित
2. अनुसूचित जाति	8. अनुसूचित जाति
3. असुरक्षित	9-12. असुरक्षित
4. अनुसूचित जन-जाति	13. अनुसूचित जन-जाति

15. अनुसूचित जाति ।	33. अनुसूचित जनजाति ।
16-21. असुरक्षित ।	34-35. असुरक्षित
22. अनुसूचित जाति	36. अनुसूचित जाति ।
23. अनुसूचित जाति	37-42. असुरक्षित ।
24-28. असुरक्षित ।	43. अनुसूचित जन-जाति ।
29. अनुसूचित जाति ।	44. अनुसूचित जाति ।
30-32. असुरक्षित ।	45-50. असुरक्षित ।

3. यह स्पष्ट कर देना है कि आरक्षण के मामले में अगर किसी भी संवर्ग में एक ही पद सृजित है तो दूसरी बार उक्त पद पर जो रिक्ति होगी वह आरक्षित व्यक्ति की नियुक्ति से ही भरी जायगी, सामान्य जाति से नहीं । रोस्टर बिन्दु से तात्पर्य पद नहीं है, बल्कि रिक्तियाँ है तथा प्रत्येक रिक्ति के साथ रोस्टर बिन्दु आगे बढ़ता जाता है ।

4. अत: अनुरोध है कि सभी नियुक्ति पदाधिकारी अपने विभाग/कार्यालय के चालू रोस्टर (रनिंग रोस्टर) में तदनुसार कृपया सुधार लेंगे एवं अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को इन आदेशों से अवगत करा देंगे ।

विश्वासभाजन,

ह०/-कीर्ति नारायण

सरकार के उप सचिव ।

पत्र संख्या-11/आ०2-ए. एस. 01/2000 का०-60

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्रीमती अलका तिवारी,

सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 18 अप्रील, 2000 ।

विषय – **अन्य राज्यों के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित परीक्षाओं में आरक्षण की सुविधा नहीं दिये जाने के संबंध में ।**

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या 70, दिनांक 11.6.96 प्रभावी है ।

ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त परिपत्र के आलोक में कार्रवाई नहीं हो पा रही है जिसके फलस्वरूप अनेक विभागों में सीधी नियुक्तियों द्वारा पदों को भरने में कठिनाई हो रही है ।

अतः कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या-70, दिनांक 11-6-96 का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ।

विश्वासभाजन,

ह०/-अलका तिवारी,

सरकार के अपर सचिव ।